


महात्मा गॉधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय
चित्रकूट, सतना, म०प्र०



मध्य प्रदेश अधिनियम

कमांक 9 सन् 1991

Established by the Govt. of Madhya Pradesh
through legislature by Act No. 09 of Year 1991



अनुक्रमणिका

क.सं.	विवरण	दिनांक	पृ.सं.
(अ)	विश्वविद्यालय अधिनियम कमांक 9 सन् 1991	18 अप्रैल 1991	1-39
(ब)	विश्वविद्यालय अधिनियम 1991 में हुये संशोधन –	–	40-70
1.	संक्षिप्त नाम का संशोधन	22 सितम्बर, 1995	40-43
2.	कुलपति चयन समिति का संशोधन	11 नवम्बर, 1996	44-47
3.	कुलपति चयन समिति का संशोधन	06 जनवरी, 1997	48-50
4.	संक्षिप्त नाम में संशोधन	05 अप्रैल, 1997	51-52
5.	कुलपति की आयु सीमा 65 वर्ष विलोपित	20 जून, 1997	53-56
6.	कुलसचिव की नियुक्ति एवं 'धारा 44-क' अन्तःस्थापित	05 सितम्बर, 2009	57-63
7.	'धारा 44-क' की कालावधि एक वर्ष बढ़ाने हेतु संशोधन	13 जून, 2011	64
8.	कुलपति चयन समिति का संशोधन	19 दिसम्बर, 2019	65-66
9.	कुलपति चयन समिति का संशोधन	01 फरवरी, 2020	67-68
10.	प्रबन्ध मण्डल अध्यक्ष का संशोधन	10 अगस्त, 2021	69-70



व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 314]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 अप्रैल 1991-चैत्र 28, शके 1913

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक १८ अप्रैल १९९१

क्र. ५८४८-इक्कीस-अ (प्रा).-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक १६ अप्रैल, १९९१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, उपसचिव

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन् १९९१.

चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१.

विषय-सूची.

धाराएं:

अध्याय १-प्रारंभिक.

१. संक्षिप्त नाम और विस्तार.
२. परिभाषाएं.

अध्याय २-विश्वविद्यालय.

३. विश्वविद्यालय का निगमन.
४. प्रादेशिक अधिकारिता.
५. विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विषयों के संबंध में विभेद का प्रतिषेध.
६. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.
७. विश्वविद्यालय में प्रवेश.
८. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.
९. वीक्षण तथा निरीक्षण.

1013

अध्याय ३—विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

१०. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.
११. बोर्ड का गठन.
१२. बोर्ड की शक्तियां और उसके कर्तव्य.
१३. विद्या परिषद्.
१४. विद्या परिषद् की शक्तियां, उसके कृत्य और कर्तव्य.
१५. संकाय.
१६. अध्ययन बोर्ड.
१७. विद्या संबंधी योजना और मूल्यांकन बोर्ड.
१८. समितियों का गठन.
१९. प्राधिकारियों में सदस्यता संबंधी उपबन्ध.
२०. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
२१. कार्यवाहियां सिक्ति के कारण—अविधिमान्य नहीं होंगी.

अध्याय ४—विश्वविद्यालय के अधिकारी.

२२. विश्वविद्यालय के अधिकारी.
२३. कुलाधिपति और उसकी शक्ति.
२४. कुलपति.
२५. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य.
२६. प्रथम कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य.
२७. प्रति कुलपति.
२८. कुल सचिव.
२९. नियंत्रक.
३०. अधिकारियों तथा कर्मचारियों का पारिश्रमिक.
३१. अध्यापन, अनुसंधान तथा कृत्यों का विस्तार और एकीकरण तथा पाठ्यचर्या और सेवाओं का समन्वय.

अध्याय ५—विश्वविद्यालय के कर्मचारी.

३२. अध्यापकों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति.

अध्याय ६—विश्वविद्यालय निधि आदि.

३३. बीमा तथा भविष्य निधि.
३४. विश्वविद्यालय निधि तथा सरकारी अनुदान.
३५. उद्देश्य जिनके लिये विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन किया जा सकेगा.
३६. वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखाओं की संपरीक्षा.

अध्याय ७—परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम.

३७. परिनियम.
३८. परिनियम कैसे बनाए जायेंगे.
३९. अध्यादेश.
४०. अध्यादेश कैसे बनाए जायेंगे.
४१. विनियम.

अध्याय ८—प्रकीर्ण.

४२. विद्यार्थियों के निवास स्थान.
४३. शक्तियों का प्रत्यायोजन.
४४. अधिनियम क्रमांक—२१ सन् १९७३ का लागू न होना.
४५. कठिनाइयों का दूर किया जाना.
४६. निरसन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन् १९९१.

चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१.

[दिनांक 16 अप्रैल, 1991 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 18 अप्रैल, 1991 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

राज्य में ग्रामीण जीवन के विकास संबंधी शिक्षा और उसके सम्बद्ध में अनुसंधान किए जाने के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने तथा उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय १—प्रारंभिक.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ है. संक्षिप्त नाम और विस्तार.
- (२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषा.

- (क) "विद्यापरिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद्;
- (ख) "सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्था" से अभिप्रेत है वह संस्था जिसे इस अधिनियम या परिनियमों के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हैं;
- (ग) "स्वशासी महाविद्यालय/संस्था" से अभिप्रेत है वह शिक्षा संस्था जिसे बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्वशासी महाविद्यालय/संस्था के रूप में घोषित किया गया है;
- (घ) "बोर्ड" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड;
- (ङ) "अध्ययन बोर्ड" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड;
- (च) "महाविद्यालय/संस्था" से अभिप्रेत है वह संस्था जिसे इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन संचालित किया जाता है या जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हैं;
- (छ) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति और उसके अंतर्गत है विश्वविद्यालय के अध्यापकगण और अन्य कर्मचारिवृन्द;
- (ज) "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत्त यथास्थिति परिनिगम, अध्यादेश और विनियम;
- (झ) "अनुसूचित जातियों" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियां;

- (अ) "अनुसूचित जनजातियों" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियाँ;
- (ट) "विश्वविद्यालय का विद्यार्थी" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसे विश्वविद्यालय में उपाधि, उपाधिपत्र या सम्यकरूपेण संस्थित विद्या संबंधी अन्य विशिष्टता के लिए पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित किया गया है;
- (ठ) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" से अभिप्रेत है आचार्य (प्रोफेसर), उपाचार्य (रीडर), सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर), प्राध्यापक (लेक्चरर) और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें विद्यापरिषद् के अनुमोदन से विश्वविद्यालय में या किसी महाविद्यालय या संस्था में, जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित या मान्यता प्राप्त है, शिक्षण देने या अनुसंधान कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाए;
- (ड) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है वह विश्वविद्यालय जिसे प्राथमिक स्तर से लेकर पोस्ट-डाक्टरल स्तर तक की ग्रामीण विकास से सम्बद्ध शिक्षा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया समझा जाता है.

अध्याय २—विश्वविद्यालय.

विश्वविद्यालय का निगमन.

३. (१) चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जिसमें एक कुलाधिपति, एक कुलपति, एक प्रतिकुलपति, एक प्रबंध बोर्ड, एक विद्या परिषद् और ऐसे अन्य प्राधिकारी और अधिकारी होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों में उपबंधित हैं.

(२) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा.

(३) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने तथा धारण करने, किसी ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति को, जो उसमें निहित हो गई है, या विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये उसके द्वारा अर्जित की गई है, पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा अन्तरित करने तथा संविदा करने और ऐसी समस्त अन्य बातें, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हैं, करने के लिये सक्षम होगा.

(४) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध समस्त वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचन कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किये जायेंगे और ऐसे वादों और कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं विश्वविद्यालय के कुल सचिव को जारी की जाएंगी और उस पर तामील की जाएंगी.

(५) विश्वविद्यालय का मुख्यालय चित्रकूट, जिला सतना, मध्यप्रदेश में होगा.

प्रादेशिक अधिकारिता.

४. अध्यापन, अनुसंधान और ग्रामीण विकास शिक्षा के कार्यक्रमों के विस्तार के संबंध में इस विश्वविद्यालय की प्रादेशिक अधिकारिता और उत्तरदायित्व सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर विस्तारित होगा.

विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विषयों के संबंध में विभेद का प्रतिषेध.

५. विश्वविद्यालय इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों का पालन करने में धर्म, मूलवंश जाति, लिंग, जन्मस्थान राजनैतिक या अन्य विचारधारा के आधार पर या इनमें से किसी भी एक के आधार पर, भारत के किसी भी नागरिक के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा.

६. विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

विश्वविद्यालय के उद्देश्य.

- (१) व्यक्तित्व के एकीकृत विकास पर विशेष बल देते हुए, ग्रामीण विकास से संबंधित अध्ययन की विभिन्न शाखाओं में पूर्व प्राथमिक स्तर से पोस्ट डॉक्टोरल स्तर तक की शिक्षा देने के लिए व्यवस्था करना.
- (२) शिक्षा और प्रशिक्षण के समस्त पहलुओं का उत्पादक और सृजनात्मक क्रियाकलापों के साथ शिक्षा के सभी प्रक्रमों पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के अनुशासनों के परे समस्तरीय रूप से तथा प्राथमिक से उच्चतर शिक्षा के समस्त प्रक्रमों के परे उर्ध्वस्थ रूप से एकीकरण करना.
- (३) विभिन्न स्तरों पर, विशेषतः उभरते हुए रुरल आकुपेशन्स के आस-पास के तृतीयक स्तर पर ग्रामीण अभिनति वाले विविध पाठ्यक्रम विभिन्न स्तरों पर तैयार करना और क्षेत्र कार्य मूलक पाठ्यक्रमों को सम्यक् मान्यता और प्रोत्साहन देना.
- (४) अनुसंधानों को, विशेषतः समुदाय-आधारित और नैदानिक अनुसंधानों को आगे बढ़ाने में सहायता देना.
- (५) नई प्रौद्योगिकियों संबंधी ज्ञान ग्रामों में पहुंचाने और वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संस्थाओं को ग्रामों की आवश्यकताओं से अवगत कराने की दृष्टि से विस्तारी कार्य हाथ में लेना.
- (६) नई तकनीकों संबंधी विचारों और अनुभव का आदान-प्रदान करना और ग्रामीण विकास कार्य में अभिरुचि रखने वाले विभिन्न अभिकरणों, संगठनों या व्यक्तियों के बीच माध्यम के रूप में कार्य करना.
- (७) ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थान/महाविद्यालय स्थापित करना, संधारित करना, समेकित करना और पुनर्गठित करना और उन्हें ग्रामीण अभिनति से युक्त सम्मिश्रित स्वरूप प्रदान करना अर्थात् ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को प्राथमिक और उच्चतर स्तरों से उपाधिपत्र और उपाधि स्तरों तक संयोजित करना.
- (८) ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं से सम्बद्ध शिक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिए, चुने हुए महाविद्यालयों/संस्थाओं को स्वशासी महाविद्यालयों/संस्थाओं के रूप में विकसित करना.
- (९) ग्रामोन्मुख शिक्षा के कार्य में संलग्न अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं सृजित करना, उनका विकास करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना.
- (१०) माइक्रो-लेवल योजनाएं तैयार करने, उन्हें मानीटर करने और उनके मूल्यांकन के लिए परामर्शी सेवा (कन्सलटेन्सी) की व्यवस्था करना.
- (११) ऐसे अन्य कार्य करना जो विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए, समय-समय पर, अवधारित करें.

७. (१) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा:

विश्वविद्यालय में प्रवेश.

परन्तु विश्वविद्यालय ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा जो प्रवेश के लिए विहित शैक्षणिक स्तरमान नहीं रखते हैं या ऐसे व्यक्तियों को विश्वविद्यालय की नामावली में नहीं रखेगा जिनका शैक्षणिक अभिलेख उपाधि देने के लिये अपेक्षित निम्नतम स्तरमान से निम्न है:

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय किसी भी पाठ्यक्रम में उतने विद्यार्थियों से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं देगा जितने कि विश्वविद्यालय में या किसी विशिष्ट महाविद्यालय में जैसा कि विद्या परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए, उपलब्ध संकायों या विभाग में समायोजित किए जा सकते हैं.

- (२) उपर्युक्त उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, राज्य सरकार यह निदेशित कर सकेगी कि विश्वविद्यालय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए या भारत के अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए स्थान आरक्षित रखेगी:

परन्तु ऐसा, कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अधिकथित स्तरमानों की पूर्ति न करता हो।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य.

८. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:—

- (१) ग्रामीण विकास से संबंधित समस्त विषयों में पूर्व प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था करना.
- (२) शिक्षा और प्रशिक्षण के समस्त पहलुओं का उत्पादक और सुजनात्मक क्रियाकलापों के साथ शिक्षा के सभी प्रक्रमों पर प्राकृतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, आयुर्विज्ञान विधि-अध्ययन और सामाजिक विज्ञानों के अनुशासनों के परे समस्तरीय रूप से एकीकरण की व्यवस्था करना.
- (३) विभिन्न स्तरों पर, क्षेत्र-कार्य-मूलक पाठ्यक्रमों को सम्यक् मान्यता और प्रोत्साहन देने वाले विविध ग्रामोन्मुख पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना.
- (४) ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न शाखाओं में उपाधियाँ, उपाधिपत्र और विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएँ संस्थित करना.
- (५) प्रौद्योगिकियों संबंधी ज्ञान ग्रामों में पहुंचाने की दृष्टि से अनुसंधानों, विशेषतः समुदाय-आधारित और नैदानिक अनुसंधानों, के लिए व्यवस्था करना और विस्तार कार्य हाथ में लेना.
- (६) सम्मानिक उपाधियों और ऐसी अन्य विशिष्टताएँ, जो विहित की जाएँ, प्रदान करना.
- (७) ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं से सम्बद्ध शिक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिए चुने हुए महाविद्यालय/संस्थाओं को स्वशासी महाविद्यालयों/संस्थाओं के रूप में विकसित करना.
- (८) विश्वविद्यालय के आधारभूत उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये, अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों के साथ ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार करना जैसे कि विश्वविद्यालय अवधारित करे.
- (९) क्षेत्र-कार्यकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों के लिए, जो विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में नामांकित नहीं हैं और जो ग्रामीण विकास से सम्बद्ध हैं, व्याख्यान तथा शिक्षण की व्यवस्था करना और उन्हें ऐसे प्रमाण-पत्र और उपाधि पत्र देना जो विहित किए जाएँ.
- (१०) अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना.
- (११) किसी विषय में ख्यातिप्राप्त व्यक्ति को उस विषय में अनुसंधान का मार्गदर्शन करने के लिए मान्यता देना.
- (१२) अध्यापन, अनुसंधान और विस्तारी-शिक्षा के लिए प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, अनुसंधान केन्द्र और संस्थाएँ तथा संग्रहालय संघारित करना.
- (१३) अध्यापन, अनुसंधान और विस्तारी शिक्षा संबंधी पद संस्थित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना.
- (१४) प्रशासनिक और अन्य पद सृजित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना.
- (१५) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ तथा पारितोषिक संस्थित और प्रदान करना.

- (१६) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा कर्मचारिवृन्द के लिए निवास-स्थान संस्थित और संधारित करना.
- (१७) ऐसी फीस और अन्य प्रभार नियत करना, उनकी मांग करना और उन्हें प्राप्त करना जो विहित किए जाएं.
- (१८) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास, आचरण और अनुशासन का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य तथा कल्याण में अभिवृद्धि करने हेतु इन्तजाम करना.
- (१९) समस्त ऐसे कार्य तथा बातें करना चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुषंगिक हों या न हों और जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपेक्षित हैं.

९. (१) कुलाधिपति को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे/जिन्हें वह निदेशित करे, विश्वविद्यालय का, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कर्मशालाओं तथा साज-सज्जा का और किसी ऐसी संस्था, महाविद्यालय या छात्रावास का, जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित या प्रशासित किया जाता है, या विश्वविद्यालय द्वारा या उसके मार्गदर्शन में संचालित अध्यापन का तथा विश्वविद्यालय के किन्हीं अन्य कृत्यों का निरीक्षण कराने और विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त से संबंधित किसी भी मामले के बारे में जांच कराने का अधिकार होगा.

वीक्षण तथा निरीक्षण.

(२) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, निरीक्षण करवाने या जांच करवाने के अपने आशय की सम्यक् सूचना विश्वविद्यालय को देगा और विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित रहने और सुने जाने का अधिकार होगा.

(३) कुलाधिपति, ऐसे निरीक्षण या ऐसी जांच के परिणाम विश्वविद्यालय को संसूचित करेगा और उस पर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात्, विश्वविद्यालय को उस पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में सलाह दे सकेगा और ऐसी कार्यवाही करने के लिए समय-सीमा नियत कर सकेगा.

(४) यदि राज्य सरकार कोई जानकारी चाहती है या किसी मामले की जांच की जाने की वांछा करती है तो वह कुलाधिपति को निर्देश करेगी जो आवश्यक जानकारी प्राप्त करेगा या जांच करवाएगा और नियत समय के भीतर परिणाम राज्य सरकार को संसूचित करेगा जो ऐसी सलाह दे सकेगी जो वह ठीक समझे.

(५) कुलाधिपति, दी गई सलाह पर विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही करवाएगा और की गई अथवा की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना राज्य सरकार को देगा.

(६) कुलाधिपति, जहाँ विश्वविद्यालय द्वारा उनके समाधानप्रद रूप में कार्यवाही नहीं की गई है, नियत समय-सीमा के भीतर और विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा.

(७) पूर्ववर्ती उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी भी समय कुलाधिपति की यह राय हो कि किसी भी प्रकार से विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध उद्देश्यों को अग्रसर करने में, या इस अधिनियम के उपबंधों और कानूनी विनियमों के अनुसार या विश्वविद्यालय में अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान अथवा विस्तार का स्तर बनाए रखने के लिये वांछनीय विशेष उपायों के अनुसार नहीं हो रहा है तो वह विश्वविद्यालय को कोई भी ऐसा मामला उपदर्शित कर सकेगा जिसके संबंध में वह कोई स्पष्टीकरण चाहता है, और विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जो कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे और यदि विश्वविद्यालय ऐसे समय के भीतर कोई स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है या कोई ऐसा स्पष्टीकरण देता है जो कुलाधिपति की राय में समाधानप्रद नहीं है तो कुलाधिपति ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगा जो उसे मामले की परिस्थितियों में आवश्यक और वांछनीय प्रतीत होते हैं और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो इन अनुदेशों को प्रभावशील करने के लिये आवश्यक है.

- (2) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रशासन से संबंधित ऐसी जानकारी देगा जिसकी कुलाधिपति अपेक्षा करें.

अध्याय ३- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

१०. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

- (१) प्रबंध बोर्ड.
- (२) विद्या-परिषद्.
- (३) संकाय.
- (४) अध्ययन बोर्ड.
- (५) विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड.
- (६) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य निकाय जो परिनिर्णयों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं.

बोर्ड का गठन.

११. (१) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा:-

- (१) कुलाधिपति—पदेन अध्यक्ष.
- (२) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या उनके नामनिर्देशिती.
- (३) कुलपति तथा प्रतिकुलपति.
- (४) राज्य के शिक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि और वित्त विभाग के शासन सचिव या उनके नाम निर्देशिती जो उपसचिव से निम्न पद श्रेणी के न हों.

2 ✓(५) कृषि, ग्रामीण विकास या शिक्षा की पृष्ठभूमि वाले दो विख्यात वैज्ञानिक जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे.

2 ✓(६) दो प्रगतिशील किसान जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे.

(७) (एक) कृषि या ग्रामीण विकास में विशेष ज्ञान रखने वाला एक विशिष्ट उद्योगपति या विनिर्माता जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा.

1 ✓(दो) एक प्रतिभाशाली महिला सामाजिक कार्यकर्ता अधिमानतः जो ग्रामीण उन्नति संबंधी पृष्ठभूमि रखती हो और जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट की जायेगी.

1 ✓(तीन) एक विख्यात इन्जीनियर जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा.

1 ✓(चार) एक विख्यात शिक्षाविद जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा.

(पांच) लघु या ग्रामीण उद्योगों का एक प्रतिनिधि जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा.

(८) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि.

(९) दीनदयाल शोध संस्थान का एक प्रतिनिधि.

(१०) एक संकायाध्यक्ष/निदेशक ज्येष्ठता क्रम से बारी बारी से.

1 ✓(११) एक विख्यात चिकित्साविद जिसे देशी औषधियों में विशिष्टता प्राप्त हो और जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा.

(१२) एक प्रतिभाशाली विधिज्ञ जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा.

- (२) कुलाधिपति बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलसचिव बोर्ड का अ-सदस्य सचिव होगा।
- (३) पदेन सदस्यों को छोड़कर बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा और कोई सदस्य अधिकतम दो कार्यकाल तक सेवा करने का पात्र होगा।
- (४) किसी सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व कोई रिक्ति होने की दशा में उसका उत्तराधिकारी नामनिर्दिष्ट किया जायेगा जो उसके असमाप्त कार्यकाल के शेष भाग में सेवारत रहेगा।
- (५) बोर्ड के सदस्य विश्वविद्यालय से कोई मानदेय, ऐसे दैनिक और यात्रा भत्तों को छोड़कर जो कि विहित किये जायें, प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

१२. (१) बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा:—

बोर्ड की शक्तियां
और उसके कर्तव्य.

- (क) विश्वविद्यालय के लिये वित्तीय आवश्यकताओं और प्राक्कलनों का पुनर्मूल्यांकन करने और उन पर विचार करना तथा उनका बजट अनुमोदित करना।
- (ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये सिफारिशों को विहित रीति से अनुमोदित करना।
- (ग) आशयित प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय के अधिकार में रखी गई किन्हीं निधियों को प्रशासित करने के लिये उपबन्ध करना।
- (घ) विश्वविद्यालय की निधियों के विनिहित करने या उनके प्रत्याहरण के लिये व्यवस्था करना।
- (ङ) पूंजीगत उन्नयन के लिये धन उधार लेना और उसकी वापसी के लिये उचित व्यवस्था करना।
- (च) विश्वविद्यालय की ओर से सम्पत्ति प्रतिग्रहित करना, अर्जित करना, धारण करना और उसके व्ययन करने के लिये उपबन्ध करना।
- (छ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का स्वरूप और उसका उपयोग अवधारित करना।
- (ज) ऐसी समितियां, चाहे स्थायी हों या अस्थायी, जैसा कि बोर्ड आवश्यक समझे नियुक्त करना और उसका निर्देश निबन्धन, इस अधिनियम या परिनियमों की परिसीमा के भीतर रहते हुए, स्थापित करना।
- (झ) विश्वविद्यालय सम्बन्धी समस्त नीतियां इस अधिनियम या परिनियम के अनुसार अवधारित या विनियमित करना।
- (ञ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के भीतर रहते हुए विद्या परिषद् द्वारा अवधारित विद्या की ऐसी शाखाओं में और अध्यापन पाठ्यक्रमों में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण के लिये और अनुसंधान और ज्ञान के अभिवर्द्धन तथा प्रसार के लिये वित्तीय प्रावधान करना।
- (ट) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक महाविद्यालयों, संस्थाओं, छात्रावासों, प्रयोगशालाओं, प्रयोग प्रक्षेत्रों और अन्य सुविधाओं की स्थापना के लिए और उनके अनुरक्षण के लिए उपबन्ध करना।
- (ठ) उपाधियां, उपाधि पत्रों और विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्टताओं के स्थापित किये जाने और प्रदान किये जाने के लिए उपबन्ध करना।

- (ड) छात्रवृत्तियों, अद्येता-वृत्तियों, अध्ययन वृत्तियों, पदकों, पारितोषिकों आदि के स्थापित किये जाने, संधारण किये जाने और प्रदान किये जाने के लिए उपबन्ध करना.
- (ढ) विश्वविद्यालय की ओर से न्यास, वसीयत और दान प्रतिग्रहित करना.
- (ण) ऐसे समयों और ऐसे स्थानों पर जैसा कि वह आवश्यक समझे, सम्मिलन करना. परन्तु वह कम से कम प्रत्येक तीन माह में नियमित सम्मिलन करेगा.
- (त) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो इस अधिनियम या परिनियमों से असंगत न हो और जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हों.

(२) बोर्ड, परामर्श करने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो विचाराधीन किसी विषय पर अनुभव या विशेष ज्ञान रखता हो, सम्मिलन में उपस्थित होने के लिए आमन्त्रित कर सकेगा, ऐसा व्यक्ति ऐसे सम्मिलन में बोल सकेगा और अन्यथा भाग ले सकेगा, किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा. इस प्रकार आमन्त्रित किया गया कोई व्यक्ति सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो विहित किये जायें.

विद्या परिषद्.

१३. (१) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय के विद्या संबंधी कार्यकलापों की प्रभारी होगी और इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा और उपाधियों के प्रदान किये जाने या उपाधिपत्रों के दिए जाने संबंधी अन्य विषयों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करेगी और उसके स्तर बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जैसी कि परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाए या उस पर अधिरोपित किये जायें. वह कुलपति को विद्या संबंधी समस्त विषयों पर सलाह देगी.

(२) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- (क) कुलपति - पदेन अध्यक्ष,
- (ख) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो,
- (ग) आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश या उसका नामनिर्देशिती,
- (घ) विभिन्न संकायों के सहायक अध्यक्ष,
- (ङ) माध्यमिक शिक्षा मण्डल का अध्यक्ष,
- (च) विभिन्न संकायों के विभागाध्यक्षों में से छः सदस्य जो कुलपति द्वारा बारी-बारी से नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे.
- (छ) ऐसे अन्य सदस्य जो कुलपति द्वारा किसी अध्ययन पाठ्यक्रम पर विचार करने के लिये आवश्यक समझे जाएं,
- (ज) कुल सचिव- पदेन सचिव.

(३) विद्या परिषद् अधिक से अधिक पांच व्यक्तियों को, ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति में जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जावे, सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगी ताकि ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो सके.

विद्या परिषद् की शक्तियां, उसके कृत्य और कर्तव्य.

१४. (१) विद्या परिषद् को इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेशों द्वारा समस्त अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करने और पाठ्यक्रम अवधारित करने की शक्ति होगी और उसका विश्वविद्यालय के भीतर अध्यापन और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों पर सामान्य नियंत्रण होगा और वह उसका स्तर बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी.

(२) उसे विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर, जो उसके नियंत्रण के अधीन हो, इस अधिनियम से संगत अध्यादेशों को बनाने की शक्ति होगी.

(३) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विद्या परिषद् को निम्नलिखित शक्ति होगी :-

- (क) समस्त विद्या संबंधी विषयों पर, जिसके अन्तर्गत पुस्तकालय का नियन्त्रण और प्रबन्ध है, बोर्ड को सलाह देना,
- (ख) आचार्य पद, सह आचार्य पद, उपाचार्य पद और अध्यापन पद और अन्य अध्यापन पद जिनके अन्तर्गत अनुसंधान और विस्तार के संबंध में पद हैं, स्थापित करना और उनके कर्तव्यों के संबंध में सिफारिश करना,
- (ग) अध्यापन, अनुसंधान और विस्तारी शिक्षा के विभागों का गठन करना, उनके पुनर्गठन के लिए स्कीमों को तैयार करना, उपान्तरित करना या पुनरीक्षित करना,
- (घ) विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश के बारे में अध्यादेश बनाना और उन विद्यार्थियों की, जिन्हें प्रवेश दिया जायेगा, संख्या अवधारित करना,
- (ङ) उपाधियों, उपाधिपत्रों या प्रमाण-पत्रों के लिए अध्ययन संबंधी पाठ्यक्रमों के संबंध में अध्यादेश बनाना,
- (च) परीक्षाओं का संचालन और उनका स्तर बनाये रखना और उसमें अभिवृद्धि करने के संबंध में अध्यादेश बनाना,
- (छ) स्नातकोत्तर अध्यापन, अनुसंधान और विस्तारी शिक्षा के संबंध में सिफारिश करना,
- (ज) विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के लिए विहित की जाने वाली अर्हताओं के बारे में सिफारिश करना,
- (झ) ऐसी अन्य शक्तियों को प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसे प्रदत्त की जायें और उस पर अधिरोपित किए जायें.

१५. (१) विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे, जो कि विहित किये जायें.

संकाय.

(२) प्रत्येक संकाय में ऐसे विभाग/संस्थान होंगे, और अध्ययन के वे विषय होंगे, जैसाकि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

(३) प्रत्येक संकाय का एक अध्ययन बोर्ड होगा, जिसकी शक्तियां विहित की जाएंगी.

(४) प्रत्येक संकाय के लिए एक संकायाध्यक्ष होगा जिसका चयन ऐसी रीति से किया जाएगा और जिसका कार्यकाल उतना होगा, जैसा कि विहित किया जाए.

(५) संकायाध्यक्ष संकाय का अध्यक्ष होगा और संकाय से संबंधित परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के निष्ठापूर्वक पालन और उसमें समाविष्ट विभागों के अध्यापन, अनुसंधान और विस्तारी कार्य आयोजित करने और संचालित करने के लिए उत्तरदायी होगा.

१६. प्रत्येक विभाग के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा. बोर्ड का गठन, कार्यकाल, उसकी शक्तियां और उसके कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसाकि परिनियमों द्वारा विहित किया जाये.

अध्ययन बोर्ड.

१७. अल्पकालिक और दीर्घकालिक विद्या संबंधी योजनाएं तैयार करने के लिए और ऐसी योजनाओं के पालन को मानीटर करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए एक विद्या संबंधी योजना और मूल्यांकन बोर्ड होगा. विद्या संबंधी योजना और मूल्यांकन बोर्ड का गठन, कार्यकाल, शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसाकि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

विद्या संबंधी योजना और मूल्यांकन बोर्ड.

समितियों का गठन. १८. प्रत्येक प्राधिकारी को, ऐसी समितियाँ, जो जब तक कि इस अधिनियम या परिनियम में अन्यथा उपबन्धित न हों, प्राधिकारी के सदस्यों से और ऐसे अन्य व्यक्तियों से जिन्हें वह उचित समझे, मिलकर बनेगी, नियुक्त करने की शक्ति होगी.

प्राधिकारियों में सदस्यता सम्बन्धी उपबन्ध. १९ (१) आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.— इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों में, पदेन सदस्यों को छोड़कर, समस्त आकस्मिक रिक्तियाँ उन व्यक्तियों द्वारा या उस निकाय द्वारा जिसने उस सदस्य को जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था, सुविधानुसार यथाशीघ्र भरी जाएगी और किसी आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति उस व्यक्ति के, जिसका स्थान उसने भरा है, बचे हुए कार्यकाल के लिए ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य होगा.

(२) सदस्यता से हटाया जाना.— बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता से किसी व्यक्ति को इस आधार पर हटा सकेगा कि ऐसा व्यक्ति नैतिक अधमता अन्तर्वलित करने वाले किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है:

परन्तु किसी व्यक्ति के विरुद्ध हटाये जाने के लिए कोई आदेश, उसको सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा.

(३) ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य निकाय के, चाहे वह विश्वविद्यालय का हो या न हो, प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य है, विश्वविद्यालय, प्राधिकारी या निकाय में अपना स्थान तब तक धारण किये रहेगा, जब तक कि वह उस निकाय का सदस्य बना रहता है, जिसके द्वारा वह नियुक्त या निर्वाचित किया गया था और उसके पश्चात् जब तक कि उसका उत्तराधिकारी सम्यक्तः नियुक्त या निर्वाचित नहीं हो जाता.

(४) यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई व्यक्ति सम्यक्तः नियुक्त या निर्वाचित किया गया है या यह कि वह विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सदस्य होने का हकदार है या यह कि क्या विश्वविद्यालय का कोई विनिश्चय — इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार है तो वह प्रश्न कुलाधिपति को निर्देशित किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा.

सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

२०. इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, अध्यापक या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

कार्यवाहियाँ रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी.

२१. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, समिति या निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि :-

- (क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है,
- (ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है,
- (ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी त्रुटि है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है.

अध्याय ४— विश्वविद्यालय के अधिकारी.

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

२२. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :-

- (१) कुलाधिपति.
- (२) कुलपति.

- (३) प्रति कुलपति.
- (४) कुलसचिव.
- (५) नियंत्रक (कन्ट्रोलर).
- (६) विश्वविद्यालय की सेवा में के ऐसे अन्य अधिकारी जैसा कि परिनियमों द्वारा घोषित किया जाए.

२३. (१) कुलाधिपति राज्य सरकार द्वारा पांच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा. वह उस तारीख से, जिस तारीख को वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा. कोई व्यक्ति जो कुलाधिपति का पद धारण करता है या धारण कर चुका है, उस पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा.

कुलाधिपति और उसकी शक्ति.

(२) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा और जब वह उपस्थित हो, बोर्ड के सम्मेलनों में और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह में अध्यक्षता करेगा.

(३) विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारी कुलाधिपति के अधीनस्थ रहेंगे.

(४) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के किन्हीं प्राधिकारियों की किसी कार्यवाही को जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, नियमों या उपविधियों के अनुरूप न हो, लिखित आदेश द्वारा बातिल कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व, कुलाधिपति ऐसे प्राधिकारी से यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करेगा कि क्यों न ऐसा आदेश किया जाए और उस हेतुक पर विचार करेगा जो ऐसे, प्राधिकारी द्वारा यथोचित समय के भीतर दर्शित किया गया है.

(५) कोई मानोपाधि प्रदान की जाने के लिए कोई प्रस्ताव कुलाधिपति के पुष्टिकरण के अधीन रहेगा.

(६) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो कि इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जायें.

२४ (१) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा. इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् प्रथम कुलपति, कुलाधिपति द्वारा चार वर्ष की कालावधि के लिए और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा जैसा कि कुलाधिपति अवधारित करे.

कुलपति.

(२) पश्चात्पूर्व कुलपति, कुलाधिपति द्वारा इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित की गयी समिति की, जिसे इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त किया गया है (जो इसमें इसके पश्चात् समिति के रूप में नामनिर्दिष्ट है) सिफारिशों पर नियुक्त किए जाएंगे.

(३) समिति में तीन सदस्य होंगे, जिनमें से एक बोर्ड द्वारा निर्वाचित किया जाएगा एक महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, और तीसरा राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा:

परन्तु विश्वविद्यालय के अधीन किसी पद को धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा.

(४) कुलाधिपति समिति के सदस्यों में से किसी एक को उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा.

(५) समिति अपनी सिफारिश अपनी नियुक्ति से तीन मास के भीतर करेगी.

(६) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा कम से कम तीन नामों की उस तालिका में से की जाएगी जो उपधारा (५) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर समिति द्वारा उसे प्रस्तुत की गई हो.

(७) कुलपति उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। कुलपति के रूप में सेवा के लिए उच्चतर आयु सीमा ६५ वर्ष होगी :

परन्तु कोई व्यक्ति दो से अधिक पदावधियों के लिए कुलपति के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(८) कुलपति को देय पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(९) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान विद्या विषयक और कार्यपालक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेंगे।

(१०) कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित लिखित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। त्यागपत्र कार्य मुक्त किए जाने की तारीख से प्रभावशील हो जाएगा।

मध्य प्रदेश अधिनियम २५-१, १९९१

24 (११) यदि किसी भी समय अभ्यावेदन किए जाने पर या अन्यथा और ऐसी जांच, जो कि आवश्यक समझी जाए, करने के पश्चात् किसी समय कुलाधिपति को यह प्रतीत हो कि—

(एक) कुलपति ने इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किए गए किसी कर्तव्य का पालन करने में व्यतिक्रम किया है, या

(दो) कुलपति ने विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में कार्य किया है, या

(तीन) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने में असमर्थ है तो —

कुलाधिपति इस तथ्य के होते हुए भी, कि कुलपति की पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, एक लिखित आदेश द्वारा, जिसमें कारण कथित किए जाएंगे, कुलपति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अपना पद त्याग दे।

(१२) किसी भी कारण से छुट्टी पर होने के कारण कुलपति की अस्थायी अनुपस्थिति में या ऐसे समय तक, जब तक कि किसी भी अन्य रीति में हुई रिक्ति भरी न जाए, प्रति—कुलपति, यदि वह उपस्थित है या प्रति—कुलपति की अनुपस्थिति में संकायाध्यक्षों/निदेशकों में से ज्येष्ठतम अधिकारी, इस पद के नेमी कर्तव्य अस्थायी तौर पर करेगा किन्तु वह व्यवस्था छह मास से अधिक के लिए नहीं बनी रहने दी जायेगी।

कुलपति की शक्तियाँ और कर्तव्य।

२५. (१) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा विद्या विषयक अधिकारी होगा और वह विद्या परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा, वह कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा और उन व्यक्तियों को उपाधियाँ प्रदान करेगा जो उन्हें प्राप्त करने के लिए हकदार हों।

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और वह विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी रहेगा।

(३) कुलपति, कुलाधिपति के परामर्श से विद्यापरिषद् का सम्मिलन बुलाएगा।

(४) कुलपति इस अधिनियम और परिनियमों तथा विनियमों के उपबंधों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करेगा और उसे ऐसी शक्तियाँ होंगी जो कि इस निमित्त आवश्यक हों।

(५) कुलपति, बोर्ड को वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन और वार्षिक लेखे तथा तुलन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी रहेगा.

(६) कुलपति, किसी आपातक स्थिति में, जिसमें उसकी राय में कोई त्वरित कार्यवाही की जाना अपेक्षित है, कोई भी कार्यवाही कर सकेगा. ऐसे मामले में और उसके पश्चात् यथाशक्य शीघ्र वह अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को भेजेगा जिसने सामान्यतः ऐसे मामलों में कार्यवाही की होती.

(७) उपरोक्त उपबंधों के अधीन रहते हुए कुलपति विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनका निलम्बन तथा उनकी पदच्युति से संबंधित बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करेगा.

(८) जहां उपधारा (६) के अधीन कुलपति द्वारा की गई किसी कार्यवाही से विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी व्यक्ति पर अहितकर प्रभाव पड़ता है वहां ऐसा व्यक्ति उस तारीख से, जिसको कि उसे ऐसी कार्यवाही की सूचना प्राप्त होती है, तीस दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा.

(९) कुलपति, विश्वविद्यालय के समुचित प्रशासन के लिए और अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तारी शिक्षा के निकट समन्वय तथा एकीकरण के लिए उत्तरदायी रहेगा.

(१०) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों तथा उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए कुलाधिपति द्वारा विहित की जाए.

२६. विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड, विद्यापरिषद् तथा उसके अन्य प्राधिकारियों का गठन विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर करें और उक्त प्राधिकारियों का गठन होने तक कुलपति को यथास्थिति प्रबंध बोर्ड, विद्यापरिषद् या उसका ऐसा अन्य प्राधिकारी समझा जायेगा और वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसे प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का, या उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का प्रयोग तथा पालन करेगा.

प्रथम कुलपति
की शक्तियां
तथा कर्तव्य.

परन्तु कुलाधिपति, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो ऐसे प्राधिकारियों के स्थान पर कुलपति द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन करने में उसकी (कुलपति की) सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए एक ऐसी समिति नियुक्त करेगा, जिसमें एक शिक्षाशास्त्री, एक प्रशासकीय विशेषज्ञ और एक वित्तीय विशेषज्ञ होंगे.

२७. कुलपति, संकायाध्यक्षों में से किसी एक को प्रति-कुलपति के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगा. वह कुलपति के विवेकानुसार पद धारण करेगा और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो कुलपति द्वारा उसे समनुदेशित किये जाएं.

प्रति-कुलपति.

२८. (१) कुल सचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा. और बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुए उसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा.

कुल सचिव.

(२) कुल सचिव को वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

(३) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेख तथा उसकी सामान्य मुद्रा की अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी रहेगा. वह विद्यापरिषद् का पदेन सचिव होगा और वह उसके समक्ष ऐसी समस्त जानकारी रखने के लिए आबद्ध होगा, जो कामकाज के सम्पादन के लिये आवश्यक है. वह विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये आवेदन प्राप्त करेगा, और समस्त पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्चाओं (करिक्युलम) तथा अन्य जानकारी का, जो भी आवश्यक समझी जाए, स्थायी अभिलेख रखेगा.

(४) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के शैक्षणिक कार्यों, जिसमें सम्मिलित है लिये गये पाठ्यक्रम, प्राप्त ग्रेड, प्रदान की गई उपाधि, जीते गये पारितोषिक तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं और विद्यार्थियों के शैक्षणिक कार्यों से संबंधित किन्हीं अन्य मदों का स्थायी अभिलेख रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) कुल सचिव ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो समय-समय पर विहित या अपेक्षित किये जाएं या बोर्ड या कुलपति द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

नियंत्रक.

२९. (१) नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और बोर्ड की सिफारिश पर कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(२) नियंत्रक का वेतन और भत्ता तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(३) नियंत्रक, विश्वविद्यालय की निधियों तथा विनिधानों का प्रबन्ध करेगा और उसकी वित्तीय नीतियों के बारे में सलाह देगा।

(४) नियंत्रक, विश्वविद्यालय का बजट और लेखा विवरण तैयार करने के लिये कुलपति के प्रति उत्तरदायी रहेगा।

(५) नियंत्रक, इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कुलपति के प्रति उत्तरदायी रहेगा कि बजट में प्राधिकृत किए गये अनुसार व्यय किए जाते हैं, जब नये कार्यक्रमों के विस्तार के हित में, आवश्यकताओं की तब्दीली या किन्हीं अन्य कारणों से बजट पुनरीक्षण आवश्यक हो, वहां वह आवश्यक पुनरीक्षणों को तैयार करने और उनका शीघ्र समुचित अनुमोदन कराने के लिये उत्तरदायी रहेगा।

अधिकारियों तथा कर्मचारियों का पारिश्रमिक.

३०. विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को विश्वविद्यालय में के किसी कार्य के लिये कोई भी पारिश्रमिक न तो दिया जाएगा और न ही उसके द्वारा स्वीकार किया जाएगा सिवाय ऐसे पारिश्रमिक के जो परिनियमों द्वारा उपबंधित किया जाए।

अध्यापन, अनुसंधान तथा कृत्यों का विस्तार और एकीकरण तथा पाठ्यचर्चा और सेवाओं का समन्वय.

३१. विश्वविद्यालय के समुचित अधिकारियों के परामर्श से कुलपति विश्वविद्यालय के अध्यापन, अनुसंधान और विस्तारी क्रियाकलापों के पूर्ण समन्वय के लिये आवश्यक ऐसी सभी कार्यवाही करने के लिये उत्तरदायी रहेगा।

अध्याय ५—विश्वविद्यालय के कर्मचारी.

अध्यापकों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति.

३२. (१) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति कुलपति द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में कुलपति द्वारा प्राधिकृत किया जाए, बोर्ड के अनुमोदन से की जाएगी।

(२) परिनियमों में अन्यथा उपबंधित से भिन्न मामलों में, विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा, संविदा, कुलपति के पास रखी जाएगी और उसकी प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी. संविदा, सेवा शर्तों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त अधिनियम तथा विनियमों के उपबंधों से असंगत नहीं होगी।

(३) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया, जब तक

कि अधिनियम में अन्यथा, उपबंधित न हो, ऐसी होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए.

अध्याय ६—विश्वविद्यालय-निधि आदि.

३३. (१) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिये ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, ऐसी बीमा तथा भविष्य निधि का गठन करेगा जो वह उचित समझे.

बीमा तथा भविष्य निधि.

(२) इस प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा गठित बीमा और भविष्य निधि के लिये, राज्य सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि ऐसी निधि को भविष्य-निधि अधिनियम, १९२५ (१९२५ का सं. १९) के उपबंध लागू होंगे मानों कि वह सरकारी भविष्य निधि है; परन्तु विश्वविद्यालय को बोर्ड के परामर्श से भविष्य निधि रकम का विनिधान ऐसी रीति में करने की शक्ति होगी जैसी कि वह अवधारित करे.

(३) विश्वविद्यालय को अन्तरित सरकारी सेवाओं में के व्यक्ति ऐसे निबंधनों तथा शर्तों से शासित होंगे जो विश्वविद्यालय तथा सरकार के बीच तय पायी जाएं.

३४. (१) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जो विश्वविद्यालय निधि कहलाएगी.

विश्वविद्यालय निधि तथा सरकारी अनुदान.

(२) निम्नलिखित विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगे या उसमें संदत्त किए जाएंगे :-

(क) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय द्वारा दिया गया कोई भाटक, अभिदाय या अनुदान;

(ख) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास (एनडाउमेन्ट्स) तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हों;

(ग) समस्त स्रोतों से हुई विश्वविद्यालय की आय जिसके अंतर्गत फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय है;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई समस्त अन्य धनराशियां.

(३) सरकार सामान्यतया दो करोड़ रुपये का वार्षिक अनुदान देगी. सरकार द्वारा उक्त अनुदान वर्ष के दौरान दो किश्तों में दिया जाएगा. पहली किश्त वर्ष के प्रारंभ में तथा द्वितीय किश्त ६ माह के अंतराल के बाद दी जाएगी.

(४) विश्वविद्यालय-निधि, बोर्ड के विवेकानुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का सं. २) में यथापरिभाषित किसी भी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी या भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ (१८८२ का सं. २) द्वारा प्राधिकृत प्रतिभूति में विनिहित की जाएगी.

(५) इस धारा में की कोई भी बात किसी न्यास के प्रशासन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित न्यास की किसी भी घोषणा द्वारा प्रतिगृहीत की गई या उस पर अधिरोपित की गई किसी बाध्यता पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेगी.

३५. (१) विश्वविद्यालय-निधि का उपयोजन निम्न उद्देश्यों के लिये किया जाएगा:-

(क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों,

उद्देश्य जिनके लिये विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन किया जा सकेगा.

अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किये गये ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए,

(ख) महाविद्यालयों/संस्थानों, अध्यापन/विभागों, निवासों तथा छात्र-निवासों के अन्तुरक्षण के लिए,

(ग) विश्वविद्यालय-निधि की संपरीक्षा के खर्च के संदाय के लिए,

(घ) किन्हीं भी ऐसे वाद या कार्यवाहियों के, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्षकार है, व्ययों के लिए,

(ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के संदाय के लिए और इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिए तथा उन प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालयों /संस्थानों, अध्यापन विभागों में नियोजित किए गए अध्यापकवृन्द तथा स्थापना के सदस्यों के वेतनों तथा भत्तों के संदाय के लिए और किन्हीं भी ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों, अध्यापकवृन्द के सदस्यों को या ऐसी स्थापनाओं के सदस्यों को किसी भविष्य निधि के अभिदायों, उपदानों तथा अन्य फायदों के संदाय के लिए,

(च) बोर्ड, विद्या-परिषद् के सदस्यों और विश्वविद्यालय के किन्हीं अन्य प्राधिकारियों के सदस्यों और / या इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के किसी भी उपबंध के अनुसरण में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति या किसी बोर्ड के सदस्यों के यात्रा भत्तों तथा अन्य भत्तों के संदाय के लिए,

(छ) विद्यार्थियों को अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों तथा अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए,

(ज) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने में विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किए गए किन्हीं भी व्ययों के संदाय के लिए,

(झ) पूर्ववर्ती खण्डों में से किसी भी खण्ड में विनिर्दिष्ट न किए गये किसी ऐसे अन्य व्यय के, जो बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये व्यय घोषित किया गया हो, संदाय के लिये.

(२) बोर्ड द्वारा वर्ष के लिये कुल आवर्ती व्यय तथा कुल अनावर्ती व्यय के लिये नियत की गई सीमाओं से अधिक कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना उपगत नहीं किया जाएगा.

(३) उस व्यय से, जिसका बजट में प्रावधान किया गया है, भिन्न कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना उपगत नहीं किया जाएगा.

३६. (१) नियंत्रक विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तैयार करेगा जिसकी संपरीक्षा राज्य के स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी.

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखाओं की संपरीक्षा.

(२) विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा राज्य के स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जो पन्द्रह मास से अधिक के न हों.

(३) लेखे, जबकि उनकी संपरीक्षा कर ली जाए, वार्षिक रिपोर्ट के भाग बन जाएंगे.

(४) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी तथा अपनी टीका-टिप्पणी के साथ सरकार को भेजी जाएगी.

(५) इस धारा के अधीन प्रत्येक रिपोर्ट उसके तैयार किये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी.

अध्याय ७—परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम.

३७. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

- (१) प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां तथा कर्तव्य.
- (२) कुलाधिपति से भिन्न अधिकारियों की शक्तियां, कृत्य, कर्तव्य, नियुक्ति की रीति तथा सेवा शर्तें.
- (३) अधिकारियों का पदाभिधान, उनकी नियुक्ति की रीति, शक्तियां तथा कर्तव्य.
- (४) अध्यापकों तथा अध्यापनेतर कर्मचारिवृंद का वर्गीकरण तथा उनकी नियुक्ति की रीति.
- (५) मानदेय उपाधियां तथा विद्या संबंधी विशिष्टताओं का प्रदत्त किया जाना तथा उनका प्रत्याहरण.
- (६) संकायों की स्थापना, समामेलन, उप विभाजन तथा उनकी समाप्ति.
- (७) संकायों में के अध्यापन विभागों की स्थापना.
- (८) कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया, परिलब्धियाँ तथा सेवा की शर्तें तथा उसकी शक्तियां.
- (९) कुलपति से भिन्न अन्य अधिकारियों की नियुक्ति तथा चयन की रीति और उनकी शक्तियां तथा सेवा के निबन्धन तथा शर्तें.
- (१०) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिये भविष्य निधि तथा अन्य बीमा स्कीम की स्थापना तथा ऐसी निधियों के नियम, निबन्धन तथा शर्तें.
- (११) इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों या उनमें से किसी भी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये समस्त अन्य आवश्यक बातें.

परिनियम कैसे बनाये जाएंगे.

३८. (१) धारा ३७ में दिये गये विषयों के संबंध में प्रथम परिनियम, राज्य सरकार के अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे.

(२) अतिरिक्त परिनियम, ऐसे समस्त विषयों पर जिन पर परिनियम बनाए जाना अपेक्षित हो, बोर्ड तथा कुलपति द्वारा अनुमोदन के अध्यक्षीन रहते हुए बनाये जा सकेंगे.

(३) परिनियमों का प्रस्ताव विद्यापरिषद्, कुलपति या बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा. किसी ऐसे परिनियम के मामले में जो बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया हो और जो विश्वविद्यालय के आंतरिक कार्यकरण से संबंधित हो, प्रारूप परिनियम को कुलपति के विचारार्थ पुनः निर्दिष्ट किये जाने चाहिए और उन पर बोर्ड द्वारा अंतिम कार्यवाही किए जाने के पूर्व प्रस्तावित परिनियमों का पुनर्विलोकन करने और उनमें परिवर्तन या उपान्तरण करने के लिये सुझाव देने हेतु विश्वविद्यालय को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये.

(४) कोई भी परिनियम बोर्ड के कार्य द्वारा तथा कुलाधिपति के अनुमोदन से निरस्त किया जा सकेगा.

(५) इस अधिनियम के अधीन बनाए गये समस्त प्रथम परिनियम राजपत्र में प्रकाशित किये जाएंगे.

अध्यादेश.

३९. इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात् :—

- (१) उपाधि तथा उपाधिपत्र प्रदत्त करने के लिए दीक्षान्त समारोहों का किया जाना,
- (२) सम्मानिक उपाधियों, विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्टताओं का प्रदान किया जाना तथा उपाधियों का प्रत्याहरण,
- (३) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों का स्थापन तथा उनकी समाप्ति,
- (४) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र सहायतावृत्तियों (एकजीविशन्स), वजीफों (बर्सरीज), पदकों, पारितोषिकों तथा अन्य पुरस्कारों का संस्थित किया जाना,
- (५) बोर्ड के सदस्यों को देय भत्ते,
- (६) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश तथा उनका नामांकन और उस रूप में उनका बना रहना तथा विद्यार्थियों का नाम नामांकन में से हटाने के लिए शर्तें तथा प्रक्रिया,
- (७) फीस जो कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित की जा सकेगी,
- (८) विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों, उपाधिपत्रों तथा प्रमाण-पत्रों के लिए अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम,
- (९) शर्तें जिनके अधीन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की उपाधियों, उपाधिपत्रों या अन्य पाठ्यक्रमों तथा परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा तथा उपाधियां और उपाधिपत्र देने के लिए उनकी पात्रता,
- (१०) उपाधि तथा विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्टताओं को प्रदान किये जाने के लिए शर्तें,
- (११) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन बनाये रखना,
- (१२) विशेष प्रबन्ध यदि कोई हो, जो कि महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के सम्बन्ध में किये जा सकते हैं और उनके लिए विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों का विहित किया जाना.
- (१३) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें और छात्रावासों में निवास के लिए फीस का उद्ग्रहण,
- (१४) उस छात्रावास की मान्यता तथा प्रबन्ध जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नहीं किया जाता है,
- (१५) विश्वविद्यालय के अधीन नियोजित अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों की सेवा शर्तें, पारिश्रमिक तथा भत्ते जिसमें उनका भुगतान किये जाने वाले यात्रा तथा दैनिक भत्ते सम्मिलित हैं

४० (१) धारा ३९ में दिये गये विषयों के सम्बन्ध में प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार के अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाये जायेंगे.

अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे.

(२) इस अधिनियम और परिनियम के अधीन बनाये गये उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विद्यापरिषद् विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं की पद्धति तथा उपाधि और उपाधिपत्रों का संबंधित अध्ययन बोर्ड से उसका प्रारूप प्राप्त करके, उपबन्ध करने के लिए अध्यादेश बना सकेगी.

(३) बोर्ड, इस धारा के अधीन बनाये गये किसी अध्यादेश में ऐसी रीति में जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, संशोधन का निदेश दे सकेगा या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये किसी अध्यादेश को बातिल करने का निदेश दे सकेगा.

४१. (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, इस अधिनियम तथा परिनियमों से सुसंगत विनियम निम्नलिखित के लिए बना सकेगे :-

विनियम.

- (क) उनके सम्मिलनों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या निर्धारित करना,
(ख) उन विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध करना जिनको कि इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन विनियमों द्वारा विनियमित किया जाना हो.

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी विनियम बनाएगा, जिसमें ऐसे प्राधिकारी के सदस्य को सम्मिलनों की तारीखों की तथा ऐसे कामकाज की, जिस पर सम्मिलन में विचार किया जाना है, सूचना देने के लिए और सम्मिलन की कार्यवाहियों के अभिलेख रखने के लिए उपबन्ध करेगा.

अध्याय ८- प्रकीर्ण.

४२. विद्यार्थी, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित स्थान में या ऐसे स्थान में जो विहित की गई शर्तों के अध्यधीन रहते हुए विद्यार्थी क्रियाकलाप के निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाय, निवास करेंगे.

विद्यार्थियों के निवास स्थान.

४३. बोर्ड, इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से किन्हीं भी शक्तियों को, ऐसे निबन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसे कि विहित किये जायें, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा.

शक्तियों का प्रत्यायोजन.

४४. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों, उपविधियों, और विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २१ सन् १९७३) के उपबन्ध इस विश्वविद्यालय को लागू नहीं होंगे.

अधिनियम क्रमांक २१ सन् १९७३ का लागू न होना.

४५. (१) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

कठिनाइयों का दूर किया जाना.

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दो वर्ष का अवसान हो जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

(२) इस धारा के अधीन का प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

४६. चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९९१ (क्रमांक १ सन् १९९१) एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

निरस्त.

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 1991

क्र. 5849-21-अ (प्रा).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 9 सन् 1991) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, उपसचिव

MADHYA PRADESH ACT

No. 9 of 1991.

THE CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDHYALAYA ADHINIYAM, 1991.

TABLE OF CONTENTS

SECTIONS :

CHAPTER - I — PRELIMINARY

- ✓ 1. Short title and Extent.
2. Definitions.

CHAPTER - II — THE UNIVERSITY

3. Incorporation of the University.
- ✓ 4. Territorial Jurisdiction.
5. Prohibition of discrimination in all matters connected with University.
6. Objects of the University.
7. Admission to the University.
8. Powers and Functions of the University.
9. Visitation and Inspection.

CHAPTER - III — AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

10. Authorities of the University.
11. Constitution of the Board.
12. Powers and duties of the Board.
13. The Academic Council.
14. Powers, Functions and Duties of the Academic Council.
15. The Faculties.
16. Board of Studies.
17. Academic Planning and Evaluation Board.
18. Constitution of Committees.
19. Provisions relating to memberships in Authorities.
20. Protections of actions taken in good faith.
21. Proceedings not to invalidate by vacancies.

CHAPTER - IV — OFFICERS OF THE UNIVERSITY

22. Officers of the University.
23. The Chancellor and his Powers.
24. The Vice-Chancellor.
25. Powers and duties of the Vice-Chancellor.

Sections:

26. Powers and duties of First Vice-Chancellor.
27. The Pro-Vice-Chancellor.
28. The Registrar.
29. The comptroller.
30. Remuneration of Officers and Employees.
31. Co-ordination of Teachings, Research and Extension and Integration of functions and curricula and of services.

CHAPTER - V — EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY

32. Appointment of Teachers, officers and staff.

CHAPTER - VI — UNIVERSITY FUND, ETC.

33. Insurance and Provident Fund.
34. University Fund and Government Grant.
35. Objects to which University Fund may be applied.
36. Annual Reports and Audit of Accounts.

CHAPTER - VII — STATUTES, ORDINANCES AND REGULATIONS

37. Statutes.
38. Statutes how made.
39. Ordinances.
40. Ordinances how made.
41. Regulations.

CHAPTER - VIII — MISCELLANEOUS

42. Residence of Students.
43. Delegation of Powers.
44. Act No. 21 of 73 not to apply.
45. Removal of difficulties.
46. Repeal.

MADHYA PRADESH ACT

No. 9 of 1991 .

THE CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDHYALAYA ADHINIYAM, 1991 .

[Received the assent of the Governor on the 16th April, 1991; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra Ordinary)," dated the 18th April 1991.]

An Act to establish and incorporate a University to provide for education and prosecution of Research in Development of Rural Life in the State and to provide for matters connected with or incidental hereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Forty-second Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER - I — PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Chitrakoot Gramodaya Vishwavidhyalaya Adhiniyam 1991. Short title and extent.
- (2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.

Definitions.

2. In this Act unless the context otherwise, requires;—

- (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
- (b) "Affiliated College/Institute" means an Institution admitted to the privileges of the University in accordance with the provisions of this Act or the Statutes;
- (c) "Autonomous College/Institute" means an educational institution declared as autonomous College/Institute by the Board in accordance with the provisions of this Act;
- (d) "Board" means the Board of Management of the University;
- (e) "Board of Studies" means the Board of Studies of the University;
- (f) "College/Institute" means an institution maintained by, or admitted to the privileges of the University by or under the provisions of this Act;
- (g) "Employee" means any person appointed by the University and includes teachers and other staff of the University;
- (h) "Statutes, Ordinances" and "Regulations" means the Statutes, Ordinances and Regulations of the University as the case may be in force for the time being;
- (i) "Scheduled Caste" means the Scheduled Castes specified in relation to this State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
- (j) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes specified in relation to this State Under Article 342 of the Constitution of India;
- (k) "Student of the University" means the person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma and other academic distinction duly instituted;
- (l) "Teachers of the University" means professors, Readers, Assistant Professors, Lecturers and such other persons as may be appointed for imparting instruction or conducting research with the approval of the Academic Council in the University or any College or Institution maintained or recognised by the University;
- (m) "University" means the University deemed to be established under this Act with a view to impart education connected with rural development from primary to post-doctoral level.

CHAPTER - II — THE UNIVERSITY

3. (1) There shall be established a University by the name of the Chitrakoot Gramodaya Vishwayidhyalaya which shall consist of a Chancellor, a Vice-Chancellor, a Pro-Vice-Chancellor, a Board of Management, an Academic Council and other authorities and officers as provided in this Act or Statutes.

Incorporation of the University.

(2) The University shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(3) Subject to the provisions of this Act the University shall be competent to acquire and hold property, both moveable and immoveable, to lease, sell or otherwise transfer any moveable or immoveable property which may have become vested in or may have been acquired by it for the purpose of the University, and to contract and do all other things necessary for the purpose of this Act.

(4) In all suits and other legal proceedings by or against the University, the pleading shall be signed and verified by the Registrar and all processes in such suits and proceedings shall be issued to and served on the Registrar of the University.

(5) The headquarters of the University shall be at Chitrakut, District Satna, Madhya Pradesh.

4. With respect to teaching, research and extension programmes of rural development education the territorial jurisdiction and responsibility for this University shall extend to the entire State of Madhya Pradesh.

Territorial Jurisdiction.

5. The University shall not discriminate against any citizen of India on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, political or other opinion or and one of them in the exercise of powers or performance of functions conferred or imposed upon it by or under this Act.

Prohibition of discrimination in all matters connected with University.

6. The object of the University shall be the following, namely :—

Objects of the University.

(1) Making provisions for imparting education from pre-primary to post-doctoral level in different branches of study connected with rural development with particular emphasis on the integral development of personality.

(2) Integrating all aspects of education and training with productive and creative activities horizontally across disciplines of science, technology, humanities and social sciences and vertically across all stages of education, primary to higher education.

(3) Designing a variety of courses at different levels with a rural bias, particularly at tertiary level around emerging rural occupations and giving due recognition and encouragement to field work oriented courses.

(4) Facilitating prosecution of research particularly community based and diagnostic research.

(5) Undertaking extension work with a view to ensure flow of knowledge about new technologies to the villages and the needs of villages made known to science and technology institutions.

(6) To exchange ideas and experience regarding new techniques and to act as a medium between various agencies, organisations or individuals interested in rural development work.

(7) Establishing, maintaining, consolidating and reorganising institutes/colleges in rural areas and giving them composite character with rural bias that is combining programmes of rural development from the Primary and Secondary levels to Diploma and Degrees levels.

(8) Developing selected Colleges/Institutions as autonomous Colleges/Institutions for strengthening programmes of education related to the needs of rural development.

- (9) Creating, developing and strengthening training facilities for the teachers engaged in the task of education having rural bias.
- (10) Providing Consultancy for the preparation, monitoring and evaluation of micro-level plans.
- (11) Performing such other tasks as the university may from time to time determine, keeping in view the objects of the University.

Admission to the University.

7. (1) The University shall, subject to the provisions of this Act and the statutes, be open to all persons :

Provided that the University shall not admit to any persons who do not possess the prescribed academic standard for admission or to retain on the rolls of the University persons whose academic records are below the minimum standards required for the award of a degree :

Provided further that the University shall not admit to any course of study larger number of students than can be accommodated in the available faculties of the University or of any particular college or Department as determined by the Academic Council.

(2) Subject to the above provisions, the State Government may direct that the University shall reserve seats for scheduled castes, scheduled tribes or candidates from other States in India :

Provided that no such person shall be entitled to be admitted to the university unless he possesses the standard laid down by the University in respect of such candidates.

Powers and Functions of the University.

8. The University shall have the following powers, namely :—

- (1) To provide for instruction in all subjects connected with the rural development from pre-primary to post graduate level
- (2) To make provisions for integrating all aspects of education and training with productive and creative activity horizontally across disciplines of natural sciences, technology humanities medicine, legal studies and social sciences across all stages of education
- (3) To make provisions for variety of courses at different levels with a rural bias giving due recognition and encouragement to field work oriented courses.
- (4) To institute degrees, diplomas and other academic distinctions in different branches connected with the rural development.
- (5) To make provision of research particularly community based and diagnostic research and undertaking extension work with a view to ensure flow of knowledge about technologies to the villages.
- (6) To confer honorary degrees and other distinctions as may be prescribed.
- (7) To develop selected colleges/institutions as autonomous colleges/institutions for strengthening programmes of education related to the needs of rural development.
- (8) To co-operate with other Universities and authorities in such manner and for such purpose as the University may determine to further the basic objectives of the University.
- (9) To provide lectures and instruction for field workers and other persons not enrolled as regular students of the University related to rural development and to grant certificate or diplomas to them as may be prescribed.

- (10) To provide training facilities for the teachers.
- (11) To recognise persons eminent in any subject to guide research in that subject.
- (12) To maintain laboratories, libraries, research stations and institutions and museums for teaching, research and extension education.
- (13) To institute teaching, research and extension education posts and to appoint persons to such posts.
- (14) To create administrative and other posts and to appoint persons to such posts.
- (15) To institute and award fellowships, scholarships and prizes in accordance with the statutes.
- (16) To institute and maintain residential accommodations for students and staff of the University.
- (17) To fix, demand and receive such fees, and other charges as may be prescribed.
- (18) To supervise and control the residence, conduct and discipline of the students of the University, and to make arrangements for promoting their health and welfare.
- (19) To do all such acts and things whether incidental to the powers aforesaid or not as may be requisite in order to further the objects of the university.

9. (1) The Chancellor shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct of the University, its buildings, laboratories, libraries, museums, workshop and equipment and any institution, college or hostel maintained or administered by the University or the teaching and other work conducted by the University or under its auspices and of the conduct of any other functions of the University and to cause an inquiry to be made in respect of any matter connected with administration and finances of the University.

Visitation and inspection.

(2) The Chancellor shall, in every case, give due notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made, and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(3) The Chancellor shall communicate to the University the results of such inspection or inquiry and may after ascertaining the opinion thereupon of the University advise the University upon the action to be taken and fix time limit for taking such action.

(4) If the State Government wants any information or desires any matter to be enquired into, it will refer to the Chancellor who will obtain necessary information or get the enquiry made and communicate within the time stipulated the result to the State Government who may give such advice as it deems fit.

(5) The Chancellor shall get necessary action taken by the University on the advice and inform the State Government the action to be taken or proposed to be taken.

(6) The Chancellor may, where action has not been taken by the University to the satisfaction of the Chancellor within the time limit fixed and after considering any explanation furnished or representation made by the University issue such directions as the Chancellor may think fit and the University shall comply with such directions.

(7) Notwithstanding anything contained in the preceding sub-sections if at any time the Chancellor is of the opinion that in any manner the affairs of the University are not being managed in

furtherance of the objects of the University, or in accordance with the provisions of this Act and statutory regulations or the special measures desirable to maintain the standards of University teaching, examination, research or extension he may indicate to the University any matter in regard to which he desires any explanation, and call upon the University to offer such explanations within such time as may be specified by the Chancellor and the University fails to offer any explanation within such time or offers any explanation which, in the opinion of the Chancellor, is not satisfactory, the Chancellor may issue such instructions as appear to him to be necessary and desirable in the circumstances of the case and may exercise such powers as necessary for giving effect to these instructions.

(8) The University shall furnish such information relating to the administration of the University as the Chancellor may require.

CHAPTER III — AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

Authorities of the University.

10. The following shall be the authorities of the University, namely :—

- (1) The Board of Management.
- (2) The Academic Council.
- (3) The Faculties.
- (4) The Board of Studies.
- (5) Academic planning and Evaluation Board.
- (6) Such other bodies of the University as may be declared by the Statute to be the authorities of the University.

Constitution of the Board.

11. (1) The Board shall consist of the following members :—

- (1) The Chancellor as ex-officio— Chairman.
- (2) The Chairman, Madhya Pradesh Uchcha Shiksha Anudan Ayog or his nominee.
- (3) The Vice-Chancellor and Pro-vice Chancellor.
- (4) Secretaries to Government of the State in the Departments of Education, Rural Development, Agriculture and Finance or their nominees not below the rank of Deputy Secretary.
- (5) Two eminent scientists with back ground of agriculture, rural development or education to be nominated by the Chancellor.
- (6) Two progressive farmers to be nominated by the Chancellor.
- ✓ (7) (i) A distinguished industrialist or manufacturer having special knowledge in agriculture or rural development to be nominated by the State Government.
- (ii) One outstanding woman social worker preferably having background of rural advancement to be nominated by the Chancellor.
- (iii) A distinguished engineer to be nominated by the Chancellor.
- (iv) An eminent educationist to be nominated by the Chancellor.
- ✓ (v) A representative of small or village industries to be nominated by the State Government.
- (8) A representative of the Indian Council of Agricultural Research.
- (9) One representative of Deendayal Research Institute.
- (10) One Dean/Director by seniority by rotation.
- (11) An eminent Physician specialised in indigenous medicine nominated by the Chancellor.
- ✓ (12) One legal luminary to be nominated by the State Government.

(2) The Chancellor shall be Ex-Officio chairman and the Registrar shall be non-member Secretary of the Board.

(3) The term of office of members of the Board, other than Ex-officio members, shall be three years, and a member shall be eligible to serve a maximum of two terms.

(4) In case of a vacancy occurring before the expiry of the term of a member, his successor shall be designated to serve the remaining unexpired portion of his term.

(5) The members of the Board shall not be entitled to receive any remuneration from the University except such daily and travelling allowances as may be prescribed.

12. (1) The board shall exercise the following powers and perform the following duties, namely :— Powers and Duties of the Board.

- (a) To review and consider the financial requirements and estimates for the University and approve its budget.
- ✓ (b) To approve the recommendations for appointment of teachers and employees of the University in the manner prescribed.
- (c) To provide for the administration of any funds placed at the disposal of the University for the purposes intended.
- (d) To arrange for the investment and withdrawal of funds of the University.
- (e) To borrow money for capital improvements and make suitable arrangements for its repayment.
- (f) To provide for accepting, acquiring, holding and disposal of property on behalf of the University.
- (g) To determine the form and use of the common seal of the University.
- (h) To appoint such committees, either standing or temporary, as the board may consider necessary and establish the terms of reference thereof within the limitations of this Act or Statutes.
- (i) To determine and regulate all policies relating to the University in accordance with this Act or the Statutes.
- (j) To make financial provision for instruction, teaching and training in such branches of learning and courses of study as determined by the academic council within the purposes of this Act and for the research and for the advancement and dissemination of Knowledge.
- (k) To provide for the establishment and maintenance of colleges, institutions, hostels, laboratories, experimental farms and other facilities necessary for carrying out the purposes of this Act.
- (l) To make provision for instituting and conferring degrees, diplomas, and other academic distinctions.
- (m) To provide for institution, maintenance and award of scholarships, fellowships, studentships, medals, prizes etc.
- (n) To accept on behalf of the University trusts, bequests and donations.
- (o) To meet at such times and in such places as it considers necessary; provided that it shall hold regular meetings at least every three months.
- (p) To exercise such other powers and perform such other duties not inconsistent with this Act or Statutes as may be necessary for carrying out the purposes of the Act.

(2) The Board may, for purposes of consultation invite any person having experience or special knowledge on any subject under consideration to attend its meeting. Such person may speak in and otherwise take part in the proceedings of such meeting but have no right to vote. Any person so invited shall be entitled to such allowances for attending the meeting as may be prescribed.

The Academic Council.

13. (1) The Academic Council shall be in charge of the Academic affairs of the University and shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes, superintend, direct and the control, and be responsible for the maintenance of standards of instruction, education and examination and other matters connected with the conferment of degrees or award of diplomas, and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by the Statutes. It shall advise the vice-Chancellor on all academic matters.

(2) The Academic Council shall consist of the following members, namely :—

- (a) The Vice-Chancellor, Ex-Officio—Chairman;
- (b) The Pro-Vice-Chancellor, if any;
- (c) The Commissioner, Higher Education Madhya Pradesh, or his nominee;
- (d) The Deans of the Various faculties;
- (e) Chairman Board of Secondary Education;
- (f) Six members from amongst the Heads of Departments of various faculties nominated by Vice Chancellor by rotation;
- (g) Such other members as may be considered necessary by the Vice-Chancellor for consideration of any course of study;
- (h) The Registrar-Ex-Officio— Secretary.

(3) The Academic Council may co-opt as members not more than five persons for such periods and in such manner as may be prescribed by Statute so as to secure adequate representation of different aspects of rural development.

Powers, Functions and duties of the Academic Council.

14. (1) The Academic Council shall, subject to provisions of this Act and the Statutes have the power of prescribing by ordinances all courses of study and determining curricula, and shall have general control on teaching and other educational programmes within the University, and shall be responsible for the maintenance of standards thereof.

(2) It shall have power to make ordinances consistent with this Act relating to all academic matters subject to its control and to amend or repeal such ordinances.

(3) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Academic Council shall have power:—

- (a) to advise the Board on all academic matters including the control and management of libraries;
- (b) to make recommendation for the institution of professorships, associate professorships, readerships and teacherships and other teaching posts including posts in research and extension and in regard to the duties thereof;
- (c) to formulate, modify or revise schemes for the constitution or reconstitution of departments of teaching, research and extension education;
- (d) to make ordinances regarding the admission of students to the University; and determine the number of students to be admitted;
- (e) to make ordinances relating to the courses of study leading to degrees, diplomas and certificates;
- (f) to make ordinances relating to the conduct of examinations and to maintain and promote standards;
- (g) to make recommendations regarding post-graduate teaching, research and extension education;
- (h) to make recommendations regarding the qualifications to be prescribed for teachers in the University;

(i) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under the provisions of this Act.

15. (1) The university shall have such faculties as may be prescribed.

The Faculties.

(2) Each faculty shall compose such departments/Institutes and with such assignments of subjects of study as may be prescribed by the statutes.

(3) There shall be a Board of studies of each faculty, the powers of which shall be prescribed.

(4) There shall be a Dean for each faculty who shall be chosen in such manner and for such terms as may be prescribed.

(5) The Dean shall be Chairman of the Faculty and be responsible for the faithful observance of the statutes, ordinances and regulation relating to the faculty and for the organisation and conduct of the teaching, research and extension work of the departments comprised therein.

16. There shall be Board of studies for every faculty the constitution, terms, powers and duties of the Boards shall be such as may be prescribed by the Statutes.

Board of Studies.

17. There shall be an Academic Planning and Evaluation Board to prepare short term and long term academic plans and to monitor and evaluate the performance of such plans. The constitution, terms, powers, and duties of the Academic Planning and Evaluation Board shall be such as may be prescribed by the statutes.

Academic Planning and Evaluation Board.

18. Every authority shall have the powers to appoint committees which may unless otherwise provided in this Act or Statutes consist of the members of the authority, and such other persons as it may think fit.

Constitution of Committees.

19. (1) **Filling of casual vacancies:**— Save as otherwise provided in this Act all casual vacancies among the members, other than ex-officio members, if any authority or other body of the University shall be filled as soon as conveniently may be, by the person or body who appointed, elected or co-opted the members whose place has become vacant, and the person appointed, elected or co-opted to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

Provisions Relating to Memberships in Authorities.

(2) **Removal from membership:**— The Board may remove any person from membership of any authority or body of the University on the ground that such person has been convicted of an offence involving moral turpitude:

Provided that no order for removal shall be passed against any person without giving him an opportunity of being heard.

(3) Person who is a member of any authority of the University as a representative of another body, whether of the University or not, shall retain his seat on the University authority or body so long as he continues to be a member of the body by which he was appointed or elected and thereafter till his successor is duly appointed or elected.

(4) If any question arises whether any person has been duly appointed or elected as, or is entitled to be a member of any authority or other body of the University or whether any decision of the University is in accordance with this Act and Statutes, the question shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Protection of Action taken in good faith.

20. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer, teacher or other employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done by or under this Act or the Statutes or the ordinances or the Regulations.

Proceedings not to invalidate by vacancies.

21. No act or proceeding of any authority, committee or body of the University shall be invalid merely by reason of :—

- (a) any vacancy in or defect in the constitution thereof; or
- (b) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as a member thereto; or
- (c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

CHAPTER IV—OFFICERS OF THE UNIVERSITY

Officers of the University.

22. Following shall be the officers of the University, namely:—

- (1) The Chancellor
- (2) The Vice-Chancellor
- (3) The Pro-Vice-Chancellor
- (4) The Registrar
- (5) The Comptroller
- (6) Such other officers in the service of the University as may be declared by the Statutes.

The Chancellor and his Powers.

23. (1) The Chancellor shall be appointed by the State Government for a period of five years. He shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office. A person who holds, or who has held, office as Chancellor shall be eligible for reappointment to that office.

(2) The Chancellor shall be the head of the University and shall, when present, preside at meetings of the Board and at any convocation of the University.

(3) All the authorities of the University shall be subordinate to the Chancellor.

(4) The Chancellor may, by order in writing, annul any proceeding of any of the authorities of the University which is not in conformity with this Act, the Statutes, the ordinances, the Regulations, the rules or the bye-laws:

Provided that, before making any such order, the Chancellor shall call upon such authority to show cause why such an order should not be made and consider the cause, if any, shown by such authority within a reasonable time.

(5) Every proposal for the conferment of an honorary degree shall be subject to confirmation by the Chancellor.

(6) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by this Act or the Statutes.

The Vice-Chancellor.

24. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time officer of the University. The first Vice-Chancellor after the commencement of this Act shall be appointed by the Chancellor for a period of four years and on such terms and conditions as the Chancellor may determine.

(2) The subsequent Vice-Chancellors shall be appointed by the Chancellor on the recommendation as hereinafter provided of a Committee appointed by him for the purpose (hereinafter referred to as the Committee)

(3) The Committee shall consist of three members, one elected by the Board, one nominated by the Director General, Indian Council of Agricultural Research/University Grants Commission and the third-nominated by the State Government:

Provided that no person holding any office under the University shall be nominated as a member of the Committee.

(4) The Chancellor shall appoint one of the members of the committee to be its Chairman.

(5) The Committee shall make its recommendation within a period of three months of its appointment.

(6) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from among a panel which shall consist of not less than three names submitted to him by the Committee within the period specified in sub-section (5)

(7) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of four years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for re-appointment. The upper age limit for serving as Vice-Chancellor shall be 65 years:

Provided that a person shall not be appointed as Vice-Chancellor for more than two terms.

(8) The remuneration payable to and the other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be prescribed under the Statute.

(9) The Vice-Chancellor shall be the principal academic and executive officer of the University and all the officers of the University shall be under his administrative control.

(10) The Vice-Chancellor may by writing under his hand addressed to the Chancellor resign his office. The resignation shall take effect from the date of relieve.

(11) If at any time upon representation made or otherwise and after making such enquiries as may be deemed necessary, it appears to the Chancellor that the Vice-Chancellor.—

- (i) has made default in performing any duty imposed on him, by or under this Act; or
- (ii) has acted in a manner prejudicial to the interests of the University; or
- (iii) is incapable of managing the affairs of the University

the Chancellor may, notwithstanding the fact that the terms of office of Vice-Chancellor has not expired, by an order in writing stating the reasons therein, require the Vice-Chancellor to relinquish his office as from such date as may be specified in the order.

(12) In the temporary absence of the Vice-Chancellor on leave for whatever reason or until such time the vacancy caused by any other manner is filled, the Pro-Vice-Chancellor if present or in the absence of Pro-Vice-Chancellor the senior most officer amongst the Deans/Directors should temporarily carry on the routine duties of the office, but such arrangement will not be allowed to continue for more than six months.

25 (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and ex-officio chairman of the Academic Council. He shall, in the absence of the Chancellor preside at the Convocation of the University and confer degrees on persons entitled to receive them.

Powers and duties of the Vice-Chancellor.

(2) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall be responsible for the due maintenance of the discipline in the University.

(3) The Vice Chancellor shall convene meeting of the Academic Council in consultation with Chancellor.

(4) The Vice Chancellor shall ensure the faithful observance of the provisions of this Act and the Statutes and regulations, and he shall possess such powers as may be necessary in that behalf.

(5) The Vice-Chancellor shall be responsible for the presentation of the annual financial estimates and the annual accounts and balance sheet to the Board.

(6) The Vice-Chancellor may, take any action in any emergency which in his opinion calls for immediate action. He shall in such a case and as soon as may be thereafter report his action to the authority which will ordinarily have dealt with the matter.

(7) Subject to the above provisions the Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Board regarding the appointment, suspension and dismissal of officers, teachers and other employees of the University.

(8) Where any action taken by the Vice-Chancellor under sub-section (6) affects any person in the service of the University to his disadvantage, such, person may prefer an appeal to the Board within thirty days from the date on which such person has notice of the action.

(9) The Vice-Chancellor shall be responsible for the proper administration of the university and for a close co-ordination and integration of teaching, research and extension education.

(10) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed by the Chancellor for the carrying out the purpose and provisions of this Act.

Powers and duties of first Vice-Chancellor.

26. It shall be the duty of first Vice-Chancellor to constitute Board of Management, Academic Council and other authorities of the University within a period of two years from the date of establishment of the University and till the said authorities are constituted, the Vice-Chancellor shall be deemed to be the Board of Management, Academic Council or such other authority, as the case may be, and shall exercise the powers and perform the duties conferred or imposed on such authorities by or under this Act:

Provided that the Chancellor may if he considers it necessary or expedient so to do, appoint a committee consisting of an educationist, an administrative expert and a financial expert to aid and advise, the Vice-Chancellor in the exercise of his powers and performance of functions in lieu of each such authority.

The Pro-Vice Chancellor.

27. The Vice-Chancellor shall nominate one of the Deans as Pro-Vice-Chancellor. He shall hold office at the discretion of the Vice-Chancellor and shall perform such functions as may be assigned to him by the Vice-Chancellor.

The Registrar.

28. (1) The Registrar shall be a whole-time officer of the University and shall be such as may be appointed by the Vice-Chancellor subject to the approval of the Board.

(2) The Salary and allowances payable to the Registrar shall be such as may be prescribed by the Statute.

(3) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University. He shall be ex-officio Secretary to the Academic Council and shall be bound to place before if all such information as may be necessary for the transaction of business. He shall receive applications for entrance to the University, and shall keep a permanent record of all courses, curriculum

and other information as deemed necessary.

(4) The Registrar shall be responsible for maintaining a permanent record of the academic performance of students of the University including the courses taken, grades obtained, degree awarded, prizes or other distinctions won, and any other items pertinent to the academic performance of the students.

(5) The Registrar shall perform such other duties as may be prescribed or required from time to time or which may be assigned by the Board or the Vice-Chancellor.

29. (1) The Comptroller shall be a whole time officer of the University and shall be appointed by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Board. The Comptroller.

(2) The salary and allowance and other conditions of services of the Comptroller shall be such as may be prescribed by statutes.

✓ (3) The Comptroller shall manage the funds and investments of the University and shall advise in regard to its financial policy.

✓ (4) The Comptroller shall be responsible to the Vice-Chancellor in the preparation of the budget and statement of accounts of the University.

✓ (5) The Comptroller shall be responsible to the Vice-Chancellor for ensuring that expenditure are made as authorised in the budget. When budget revisions are required in the interest of extending new programmes, changed requirements and for other reasons, he shall be responsible for preparing the needed revisions and for expediting their appropriate approval.

30. No employee of the University shall be offered nor shall accept any remuneration for any work in the University, save such as may be provided for in the Statute. Remuneration of Officers and Employees.

31. In consultation with appropriate officers of the University, the Vice-Chancellor shall be responsible for taking such steps as may be necessary for the full co-ordination of teaching, research and extension activities of the University. Coordination of Teachings, Research and Extension and Integration of Functions and Curricula and of Services.

CHAPTER V- EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY

✓ 32. (1) Subject to the provisions of this Act employees of the University shall be appointed with the approval of the Board by the Vice-Chancellor or by such officer as may be authorised by the Vice-Chancellor in the manner prescribed by Statutes. Appointment of Teachers, Officers and Staff.

(2) Except in cases otherwise provided for in the statutes, every employee of the University shall be appointed under a written contract. The contract shall be lodged with the Vice-Chancellor and a copy thereof shall be furnished to the concerned employee. The contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act and Statutes for the time being in force in relation to the conditions of service.

(3) The procedure for selection of officers, teachers and other employees of the University, ~~it shall~~ otherwise provided in this Act, shall be such as may be prescribed by the Statutes.

CHAPTER VI-UNIVERSITY FUND ETC.

33. (1) The University shall constitute for the benefit of its employees in such a manner and subject to such conditions as may be prescribed by Statutes such insurance and provident funds as it may deem fit. Insurance, and Provident Fund.

(2) For insurance and provident funds so constituted by the University, the State Government may declare that the provisions of the Provident Funds Act, 1925 (No. 19 of 1925) shall apply to such fund as if it were a Government Provident Fund, provided that the University shall have power in consultation with the Board to invest the Provident Fund amount in such manner as it may determine.

(3) Persons in Government services transferred to the University shall be governed under such terms and conditions as may be agreed to between the University and Government.

University Fund
and Government
Grant,

34. (1) The University shall establish a Fund to be called the University Fund.

(2) The following shall form part of or be paid into the University Fund:—

- (a) any rent, contribution or grant by Central or State Government or by body corporate;
- (b) trusts, bequests, donations, endowments and other grants, if any;
- (c) the income of the University from all sources including income from fees and charges;
- (d) all other sums received by the University.

(3) The Government shall ordinarily make an annual grant of Rs. Two Crores. The said grant shall be released in two instalments during the year. The first instalment shall be payable in the beginning of the year and the second instalment shall be payable after an interval of six months.

(4) The University Fund shall be kept in any Schedule Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (No. 2 of 1934) or vested in securities authorised by the Indian Trusts Acts, 1882 (No. 2 of 1882) at the discretion of the Board.

(5) Nothing in this section shall in any way affect any obligations accepted by or imposed upon the University by any declaration of trust executed by or on behalf of the University for the administration of any trust.

Objects to which
University Fund
may be applied.

35. (1) The University Fund shall be applicable to the following objects :—

- (a) to the repayment of debts incurred by the University for the purposes of this Act and the Statutes, the ordinances and Regulations made thereunder;
- (b) to the upkeep of colleges/Institutes, teaching departments, residence and halls;
- (c) to the payment of the cost of audit of the University Fund;
- (d) to the expense of any suit or proceedings to which University is a party;
- (e) to the payment of salaries and allowances of the employees of the University, members of the teaching staff and the establishment employed in the colleges/Institutes, the teaching department maintained by the University for and in furtherance of the purposes of this Act and the Statutes, the ordinances and the Regulations made thereunder and to the payment of any provident fund, contributions, gratuity and other benefits to any such officers and employees, members of the teaching staff or the members of such establishments;
- (f) to the payment of the travelling and other allowances of the members of the Board Academic Council and any other authorities of the University and/or the members of any committee or board appointed by any of the Authorities of the University in pursuance of any provision of this Act and the statute, the ordinances and regulations made thereunder;

(g) to the payment of fellowships, scholarships and other awards to students.

(h) to the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act and the Statutes, the ordinances, the Regulations made thereunder.

(i) to the payment of any other expenses not specified in any of the proceedings, clauses declared by the Board to be the expense for the purposes of the University.

(2) No expenditure should be incurred by the University in excess of the limits of total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year fixed by the Board without the previous approval of the Board.

(3) No expenditure other than provided for in the budget shall be incurred by the University without the previous approval of the Board.

✓ 36. (1) The Comptroller shall prepare the annual account of the University which shall be audited by the Examiner Local Fund Accounts of the State.

Annual reports and audit of accounts.

✓ (2) The accounts of the University shall at least once every year at interval of not more than 15 months be audited by the Examiner of Local Fund Accounts of the State.

(3) The accounts, when audited, shall form a part of the Annual Report.

(4) The annual report of the University shall be prepared under the directions of the Board and shall be submitted to the Government with their comments.

(5) Every report under this section shall be laid as soon as may be after it is made on the table of the Legislative Assembly.

CHAPTER VII—STATUTES, ORDINANCES AND REGULATIONS.

37. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:—

Statutes.

(1) The constitution, powers and duties of the Authorities.

(2) The powers, functions, duties, manner of appointment and condition of service of the officers other than the Chancellor.

(3) The designation, manner of appointment, powers and duties of officers.

(4) The classification and manner of appointment of teachers and other non-teaching staff.

(5) The conferment and withdrawal of honorary degrees and academic distinctions.

(6) The establishment, amalgamation, sub-division and abolition of faculties.

(7) The establishment of departments of teaching in the faculties.

(8) The procedure of appointment, emoluments and conditions of service of the Vice-Chancellor and his powers.

(9) The manner of appointment and selection of officers other than the Vice-Chancellor and their powers, and terms and conditions of service.

(10) The establishment of provident fund and other insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University and the rules, terms and conditions of such funds.

(11) All other matters necessary for carrying out all or any of the purposes of this Act.

Statutes
made.

how

38. (1) The first Statutes with regard to matters set out in Section 37 shall be made by the Vice-Chancellor with the approval of the State Government.

(2) Additional statutes may be made subsequently on all matters requiring Statutes, subject to approval by the Board and the Chancellor.

(3) Statute may be proposed by the Academic Council, the Vice-Chancellor, or the Board. In case of a Statute, proposed by the Board and which is concerning the internal working of the University, the draft statute must be referred back to the Vice-Chancellor for consideration in the University and sufficient time given to allow the university to review the proposed statute and to make any suggestions for changes or modifications therein before final action is taken by the Board.

(4) Any Statute may be repealed by action of the Board and approval of the Chancellor.

(5) All first Statutes made under this Act shall be published in the official Gazette.

Ordinances.

39. Subject to the provisions of this Act and the Statutes the ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:—

(1) The holding of convocations to confer degrees and diplomas.

(2) The conferment of honorary degrees, Academic distinctions and withdrawal of degrees.

(3) The establishment and abolition of hostels maintained by the University.

(4) The institution and conditions of award of fellowships, scholarships studentships exhibitions, bursaries, medals, prizes and other awards.

(5) The allowances payable to member of the Board.

(6) The entrance or admission of the students to the University and their enrolment and continuance as such and the conditions and procedures for dropping students from enrolment.

(7) The fees which may be charged by the University.

(8) The courses of study to be laid down for all degrees diplomas and certificates of the University.

(9) The conditions under which students shall be admitted to the degrees, diplomas, or other courses and examinations of the University and their eligibility for the award of degree and diplomas.

(10) The conditions for conferral of degree and other academic distinctions.

(11) The maintenance of discipline among the students of the University.

- (12) The special arrangements if any which may be made for residence, discipline and teaching of women students and the prescription of special courses of study for them.
- (13) The Conditions of residence of students of the University and the levy of fees for residence in hostels.
- (14) The recognition and management of hostel not maintained by the University.
- (15) The conditions of service, remuneration and allowances including travelling and daily allowance to be paid to officers, teachers and other persons employed under the University.
40. (1) The Ordinances with regard to matters set out in Section 39 shall be made by the Vice-Chancellor with the approval of the State Government. Ordinances how made.
- (2) The Academic Council may subject to provisions under this Act and Statute make ordinances providing for courses of studies, system of examinations and degrees and diplomas of the University after receiving drafts of the same from the Board of Studies concerned.
- (3) The Board may direct the amendment in such manner as it may specify of the ordinance made under this Section or the annulment of any Act made by any authority of the University.
41. (1) The Authorities of the University may by notification in the official gazette make regulations consistent with this Ordinance and the Statutes.— Regulations.
- (a) laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form the quorum;
- (b) providing for matters which by this Act or the Statutes have to be regulated by the regulations.
- (2) Every authority of the University shall make regulations provided for the giving of notice to the member of such authority of the dates of the meetings and the business to be considered at meeting and for keeping of records of the proceedings of the meetings.
- CHAPTER VIII—MISCELLANEOUS
42. Students shall reside in accommodation maintained by the University or which have been approved by the Director of Students affairs subject to conditions prescribed. Residence of Students.
43. The Board may by Statute delegate to any officer or authority of the University any of the power conferred on it by this Act or by the Statutes to be exercised subject to such restrictions as may be prescribed. Delegation of Powers.
44. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or any rules, bye-laws and regulations made thereunder the provisions of Madhya Pradesh Uchcha Shiksha Anudan Ayog Adhinyam, 1973 (No. 21 of 1973) shall not apply to the University. Act No. 21 of 1973 not to apply.
45. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State Government may, by order, published in Gazette make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty: Removal of difficulties.
- Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.
- (2) Every order under this Section shall be laid as soon as may be after it is made, on the table of the Legislative Assembly.
46. The Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhyadesh, 1991 (No. 1 of 1991) is hereby repealed. Repeal

ढाक-थय की पूरुव-अदायगी के बिना ढाक ढ्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-५०५/डब्ल्यू. पी.



पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
१२२ (एम. पी.)

Received
30/11
10-10-00

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 449]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर 1995—भाद्र 31, शके 1917

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक २२ सितम्बर १९९५

क्र. १०२३४-इक्कीस-अ(प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक २० सितम्बर, १९९५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २९ सन् १९९५

चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९५.

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. संक्षिप्त नाम का संशोधन.
३. धारा १ का संशोधन.
४. धारा ३ का संशोधन.
५. धारा ११ का संशोधन.
६. धारा २३ का संशोधन.
७. धारा ४४ का संशोधन.
८. निरसन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २९ सन् १९९५.

चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९५.

[दिनांक २० सितम्बर, १९९५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २२ सितम्बर, १९९५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई।]

चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विद्यान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

- संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९५ है.
- संक्षिप्त नाम का संशोधन. २. चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक ९ सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के संक्षिप्त नाम में शब्द "चित्रकूट" के स्थान पर शब्द "महात्मा गांधी" स्थापित किए जाएं.
- धारा १ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा १ की उपधारा (१) में शब्द "चित्रकूट" के स्थान पर शब्द "महात्मा गांधी" स्थापित किए जाएं.
- धारा ३ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में शब्द "चित्रकूट" के स्थान पर शब्द "महात्मा गांधी" स्थापित किए जाएं.
- धारा ११ का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) में खण्ड (२) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
 "(२) आयुक्त, उच्च शिक्षा या उसका नाम निर्देशिती जो अपर संचालक, उच्च शिक्षा के पद से निम्न पद श्रेणी का न हो."
- धारा २३ का संशोधन. ६. मूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—
 "(१) मध्यप्रदेश का राज्यपाल, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा."
- धारा ४४ का संशोधन. ७. मूल अधिनियम की धारा ४४ का लोप किया जाए.
- निरसन. ८. चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९९५ (क्रमांक ५ सन् १९९५) एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक २२ सितम्बर १९९५

क. १०२३५-इक्कीस-अ(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९५ (क्रमांक २९ सन् १९९५) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिस्सई, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 29 of 1995.

**THE CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 1995.**

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of Citation.
3. Amendment of Section 1.
4. Amendment of Section 3.
5. Amendment of Section 11.
6. Amendment of Section 23.
7. Omission of Section 44.
8. Repeal.

MADHYA PRADESH ACT

No. 29 of 1995.

**THE CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 1995.**

[Received the assent of the Governor on the 20th September, 1995 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)" dated the 22nd September, 1995.]

An Act to amend the Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1995.

2. In the citation of the Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991 (No. 9 of 1991), (hereinafter referred to as the Principal Act), for the word "Chitrakoot" the words "Mahatma Gandhi" shall be substituted.

3. In sub-section (1) of Section 1 of the Principal Act, for the word "Chitrakoot" the words "Mahatma Gandhi" shall be substituted.

4. In sub-section (1) of Section 3 of the Principal Act, for the word "Chitrakoot" the words "Mahatma Gandhi" shall be substituted.


5. In sub-section (1) of Section 11 of the Principal Act, for clause (2), the following clause shall be substituted, namely :—

“(2) Commissioner, Higher Education or his nominee not below the rank of Additional Director, Higher Education.”

Short title.
Amendment of Citation.
Amendment of Section 1.
Amendment of Section 3.
Amendment of Section 11.

Amendment Section 23.	of	6. For sub-section (1) of of Section 23 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely :-- “(1) The Governor of Madhya Pradesh shall be the Chancellor of the University.”.
Omission Section 44.	of	7. Section 44 of the Principal Act shall be omitted
Repeal.	of	8. The Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1995 (No. 5 of 1995) is hereby repealed.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.



पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम.पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 506]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 नवम्बर 1996—कार्तिक 20, शक 1918

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 1996

क्र. 12913-इक्कीस-अ (प्रा.)— भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ३ सन् १९९६

महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९९६.

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)"] में दिनांक ११ नवम्बर, १९९६ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः राज्य के विधान मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

1011

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९९६ है

मध्यप्रदेश
अधिनियम, क्रमांक
९ सन् १९९१ का
अस्थायी रूप से
संशोधित किया
जाने.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक ९ सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्याधीन रहते हुए प्रभावी रहेगा.

धारा २४ का
संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २४ में,—

(१) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

“(३) समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

(एक) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा निर्वाचित किया गया एक व्यक्ति;

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति;

(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति ;

परन्तु कोई भी व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संबद्ध है, समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा.

(३-क) उपधारा (३) के अधीन समिति गठित करने के लिए कुलाधिपति, जहां तक संभव हो, कुलपति की अवधि का अवसान होने के छह मास पूर्व, प्रबन्ध बोर्ड तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को अपने-अपने नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को चुनने के लिए अपेक्षित करेगा और यदि उनमें से कोई एक या दोनों इस बारे में कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के एक मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहते हैं तो इसके पश्चात् कुलाधिपति, यथास्थिति, किसी एक या दोनों व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा.”

(२) उपधारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

“(५) समिति अपनी सिफारिश अपने गठन की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या चार सप्ताह से अनधिक ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर करेगी, जो कि कुलाधिपति द्वारा बढ़ाया जाए.

(५-क) यदि किसी कारण से वह समिति, जो उपधारा (३) के अधीन गठित की गई है, उपधारा (५) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहती है, तो कुलाधिपति एक अन्य समिति गठित करेगा जिसमें ऐसे तीन व्यक्ति होंगे, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संबद्ध नहीं हैं, जिनमें से एक को अध्यक्ष के रूप में अभिहित किया जाएगा. इस प्रकार गठित की गई समिति अपने गठन की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या ऐसी लघुतर कालावधि, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए, के भीतर तीन व्यक्तियों की एक तालिका प्रस्तुत करेगी.

(५-ख) यदि उपधारा (५-क) के अधीन गठित की गई समिति उस उपधारा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो कुलाधिपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, कुलपति नियुक्त कर सकेगा”;

(३) उपधारा (१२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

“(१२) कुलपति की मृत्यु, उसके पदत्याग, छुट्टी, रूग्णता के कारण या अन्य कारण से उसका पद रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, किसी संकाय या संकायाध्यक्ष या कोई अन्य व्यक्ति, जो कुलाधिपति द्वारा उपयुक्त समझा जाए और कुलाधिपति द्वारा उसे उस प्रयोजन के लिए नामनिर्देशित किया जाए, कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जब तक कि धारा 24 की उपधारा (२) या उपधारा (५-ख) के अधीन नियुक्त किया गया कुलपति अपना पद यथास्थिति ग्रहण या पुनःग्रहण नहीं कर लेता है :

परन्तु इस उपधारा के अनुसार किया गया इंतजाम एक वर्ष से अधिक कालावधि के लिए बालू नहीं रहेगा।”

भोपाल :
तारीख ८-११-१९९६.

मोहम्मद शाफी कुरैशी
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 1996

क्र. 12914-इक्कीस-अ (प्रा.)— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (क्रमांक 3 सन् 1996) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 3 of 1996.

THE MAHATMA GANDHI GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN)
ADHYADESH, 1996.

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 11th November, 1996] ✓

Promulgated by the Governor in the Forty-Seventh Year of the Republic of India. ✓

An Ordinance further to amend the Mahatma Gandhi Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991.

Whereas the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :-

1. This Ordinance may be called the Mahatma Gandhi Gramodaya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 1996. Short title.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Mahatma Gandhi Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991 (No. 9 of 1991) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have effect subject to the amendments specified in Section 3. Madhya Pradesh Act No 9 of 1991 to be temporarily amended.

Amendment of
Section 24.

3. In Section 24 of the Principal Act,—

(1) for sub-section (3), the following sub-sections shall be substituted, namely —

"(3) The Committee shall consist of the following persons, namely :—

- (i) one person elected by the Board of Management;
- (ii) one person nominated by the Chairman of the University Grants Commission;
- (iii) one person nominated by the Chancellor :

Provided that no person who is connected with the University or any college shall be elected or nominated as a member of the Committee.

(3-A) For constituting the committee under sub-section (3), the Chancellor shall, as far as possible, six months before the expiry of the term of the Vice-Chancellor call upon the Board of Management and the Chairman of the University Grants Commission to choose their nominees and if any or both of them fail to do so within one month of the receipt of the Chancellor's communication in this regard, the Chancellor may further nominate any one or both the persons, as the case may be.":

(2) for sub-section (5), the following sub-sections shall be substituted, namely —

"(5) The committee shall make its recommendation within a period of six weeks from the date of its constitution or such further time not exceeding four weeks as may be extended by the Chancellor;

(5-A) If for any reason the committee constituted under sub-section (3) fails to submit the panel within the period specified in sub-section (5), the Chancellor shall constitute another committee consisting of three persons, not connected with the University, or any College one of whom shall be designated as the Chairman. The committee so constituted shall submit a panel of three persons within a period of six weeks or such shorter period as may be specified, from the date of its constitution;

(5-B) If the committee constituted under sub-section (5-A) fails to submit the panel within the period specified therein, the Chancellor may appoint any person whom he deems fit, to be the Vice-Chancellor.":

(3) for sub-section (12), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(12) In the event of the occurrence of any vacancy including a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor by reason of his death, resignation, leave, illness or otherwise, a Dean of the faculty or any other person considered suitable by the Chancellor and nominated by the Chancellor for that purpose shall act as the Vice-Chancellor until the date on which the Vice-Chancellor appointed under sub-section (2) or sub-section (5-b) of Section 24 enters or re-enters upon his office, as the case may be :

Provided that the arrangement according to this sub-section shall not continue for a period of more than one year.":

BHOPAL :
Dated, the 8th November, 1996.

MOHAMMED SHAFI QURESHI
GOVERNOR,
MADHYA PRADESH.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.



पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम.पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 जनवरी 1997—पौष 16, शक 1918

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक ६ जनवरी १९९७

क्र. १९३-इक्कीस-अ (प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक २८ दिसम्बर १९९६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. श्रीवास्तव, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् १९९७.

महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९६.

दिनांक २८ दिसम्बर १९९६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ६ जनवरी, १९९७ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९६ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९६ है.

संक्षिप्त नाम.

परन्तु इस उपधारा के अनुसार किया गया इंतजाम एक वर्ष से अधिक कालावधि के लिए चालू नहीं रहेगा.".

३. महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९९६ (क्रमांक ३ सन् १९९६) एतद्वारा निरस्त किया जाता है. निरस्त.

भोपाल, दिनांक ६ जनवरी १९९७

क्र. १९४-इक्कीस-अ (प्रा).— भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९६ (क्रमांक १ सन् १९९७) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. श्रीवास्तव, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 1 of 1997.

**THE MAHATMA GANDHI GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 1996.**

[Received the assent of the Governor on the 28th December, 1996; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 6th January, 1997.]

An Act further to amend the Mahatma Gandhi Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Forty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Mahatma Gandhi Gramodaya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1996. Short title.

2. In Section 24 of the Mahatma Gandhi Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991 (No. 9 of 1991).— Amendment of Section 24.

(1) for sub-section (3), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

"(3) The committee shall consist of the following persons, namely :—

(i) one person elected by the Board of Management;

(ii) one person nominated by the Chairman of the University Grants Commission;

(iii) one person nominated by the Chancellor :

Provided that no person who is connected with the University or any college shall be elected or nominated as a member of the Committee.

(3-A) For constituting the committee under sub-section (3), the Chancellor shall, as far as possible, six months before the expiry of the term of the Vice-Chancellor call upon the Board of Management and the Chairman of the University Grants Commission

to choose their nominees and if any or both of them fail to do so within one month of the receipt of the Chancellor's Communication in this regard, the Chancellor may further nominate any one or both the persons, as the case may be.";

(2) for sub-section (5), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

" (5) The committee shall make its recommendation within a period of six weeks from the date of its constitution or such further time not exceeding four weeks as may be extended by the Chancellor.

(5-A) If for any reason the committee constituted under sub-section (3) fails to submit the panel within the period specified in sub-section (5), the Chancellor shall constitute another committee consisting of three persons, not connected with the University, or any College one of whom shall be designated as the Chairman. The committee so constituted shall submit a panel of three persons within a period of six weeks or such shorter period as may be specified, from the date of its constitution.

(5-B) If the committee constituted under sub-section (5-A) fails to submit the panel within the period specified therein, the Chancellor may appoint any person whom he deems fit, to be the Vice-Chancellor.";

(3) for sub-section (12), the following sub-section shall be substituted, namely :—

" (12) In the event of the occurrence of any vacancy including a temporary vacancy in the Office of the Vice-Chancellor by reason of his death, resignation, leave, illness or otherwise, a Dean of the faculty or any other person considered suitable by the Chancellor and nominated by the Chancellor for that purpose shall act as the Vice-Chancellor until the date on which the Vice-Chancellor appointed under sub-section (2) or sub-section (5-B) enters or re-enters upon his office as the case may be :

Provided that the arrangement according to this sub-section shall not continue for a period of more than one year."

Repeal.

3. The Mahatma Gandhi Gramodaya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 1996 (No. 3 of 1996) is hereby repealed.

क्रमांक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.



पजी क्रमांक भोपाल डिवाजन
122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 अप्रैल 1997—चंद्र 15, शक 1919

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक ५ अप्रैल १९९७

क्र. ३४३४-इक्कीस-अ(प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक २९ मार्च १९९७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लरई, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम-

क्रमांक १५ सन् १९९७.

महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९७.

[दिनांक २९ मार्च १९९७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ५ अप्रैल १९९७ को प्रथम बार प्रकाशित की गई].

महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९७ है. संक्षिप्त नाम और प्राप्ति.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

413

संक्षिप्त नाम का संशोधन.	२. महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक ९ सन् १९९१) (जो मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के संक्षिप्त नाम में शब्द "महात्मा गांधी" के पश्चात् शब्द "चित्रकूट" अन्तःस्थापित किया जाए.
धारा १ का संशोधन.	३. मूल अधिनियम की धारा १ की उपधारा (१) में शब्द "महात्मा गांधी" के पश्चात् शब्द "चित्रकूट" अन्तःस्थापित किया जाए.
धारा ३ का संशोधन.	४. मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में शब्द "महात्मा गांधी" के पश्चात् शब्द "चित्रकूट" अन्तःस्थापित किया जाए.

भोपाल, दिनांक ५ अप्रैल १९९७

क्र. ३४३५-इक्कीस-अ (प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९७ (क्रमांक १५ सन् १९९७) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ...
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 15 of 1997

THE MAHATMA GANDHI GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1997.

[Received the assent of the Governor on the 29th March, 1997; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)" dated the 5th April, 1997.]

An Act further to amend the Mahatma Gandhi Gramodaya Vishwavidyalaya Adhinyam, 1991.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Forty-eighth year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.	1. (1) This Act may be called the Mahatma Gandhi Gramodaya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhinyam, 1997. (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.
Amendment of citation.	2. In the Mahatma Gandhi Gramodaya Vishwavidyalaya Adhinyam, 1991 (No. 9 of 1991) (hereinafter referred to as the Principal Act), in the citation, after the word "Mahatma Gandhi" the word "Chitrakoot" shall be inserted.
Amendment of Section 1.	3. In sub-section (1) of Section 1 of the Principal Act, after the word "Mahatma Gandhi", the word "Chitrakoot" shall be inserted.
Amendment of Section 3.	4. In sub-section (1) of Section 3 of the Principal Act, after the word "Mahatma Gandhi", the word "Chitrakoot" shall be inserted.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा संशोधन राज्यपाल के नाम से मुद्रित तथा प्रकाशित-1997.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.



पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम.पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 309]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जून 1997—ज्येष्ठ 30, शक. 1919

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक २० जून १९९७

क्र. ७०५९-इक्यूसी-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के अधीन मध्यप्रदेश में राज्यपाल द्वारा बनाया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुरार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक २ सन् १९९७.

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९९७.

[“मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक २० जून १९९७ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः राज्य के विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान नो गया है कि एसी परिस्थितियां विश्रमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९९७ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १ सन् १९९१ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक १ सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अधधीन रहते हुए प्रभावी रहेगा.

धारा २४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २४ में, —

(एक) उपधारा (७) में शब्द तथा अंक "कुलपति के रूप में सेवा के लिए उच्चतर आयु सीमा ६५ वर्ष होगी" का लोप किया जाए.

(दो) उपधारा (१२) के परन्तुक में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "अठारह मास" स्थापित किए जाएं.

भोपाल :
तारीख १९ जून १९९७.

मोहम्मद शफ़ी कुरैशी
राज्यपाल
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक २० जून १९९७

क्र. ७०६०-इककीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९९७ (क्रमांक २ सन् १९९७) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 2 OF 1997.

THE MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN), ADHYADESH, 1997.

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated 20th June, 1997.]

Promulgated by the Governor in the Forty-Eighth Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991.

Whereas the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution

of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :--

1. This Ordinance may be called the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 1997.

Short title.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhinam, 1991 (No. 9 of 1991) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have effect subject to the amendments specified in Section 3.

Madhya Pradesh Act No. 9 of 1991 to be temporarily amended.

3. In Section 24 of the Principal Act,--

Amendment to Section 24.

(i) in sub-section (7), the words and figure "The upper age limit for serving as Vice-Chancellor shall be 65 years", shall be omitted;

(ii) in the proviso to sub-section (12), for the words "One year" the words "eighteen months" shall be substituted.

Bhopal :
Dated the 19th June, 1997

MOHAMMED SHAFI QURESHI
Governor,
Madhya Pradesh



मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय
=====

क्रमांक डी- ५२५ /विकअ/सप्र/०१ भोपाल, दिनांक- ६/११/०१
प्रति,

कुलपति,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश। चिजकूट (सतल)
=====

विषय:- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, २००१
की अधिसूचना।

उपरोक्त विषय में विधि और विधायी कार्य विभाग
द्वारा प्रकाशित अधिसूचना दिनांक १८.१०.२००१ की प्रति
संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा
रही है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

डॉ. श्रीमती सु. पाठक
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा विभाग।

पू० क्रमांक डी- /विकअ/सप्र/०१ भोपाल, दिनांक-
प्रतिलिपि:-

१. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल
२. राज्यपाल के उपसचिव, राजभवन, भोपाल
३. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा के स्टाफ आफिसर,
४. अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
की ओर अध्यादेश की प्रति संलग्न, प्रेषित है।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा विभाग।

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 439]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 सितम्बर 2009—भाद्र 14, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2009

क्र. ४३०५-२२३-इक्कीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक १ सितम्बर २००९ को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १४ सन् २००९.

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २००९.

[दिनांक १ सितम्बर २००९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ५ सितम्बर २००९ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २००९ है.

धारा २८ का संशोधन.

२. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक ९ सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २८ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"(१) कुल सचिव, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा जो मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) की धारा १५-ग के अधीन गठित राज्य विश्वविद्यालय सेवा का सदस्य हो सकेगा."

नई धारा ४४ और ४४-क का अंतःस्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४३ के पश्चात्, निम्नलिखित नई धाराएं अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी.

"४४. (१) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी परिस्थिति उद्भूत हो गई है जिसे कि विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गई हो, तो वह अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन होगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना प्रथमतः ऐसी तारीख से जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है, एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर, वैसी ही अधिसूचना द्वारा, प्रवर्तन की कालावधि को ऐसी और कालावधि के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, बढ़ा सकेगी, परन्तु ऐसे प्रवर्तन की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(३) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार के कार्यपालिक प्राधिकार का विस्तार इस प्रकार बढ़ जायेगा कि वह विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश दे सकेगी कि विश्वविद्यालय वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धान्तों का, जो कि निदेश में विनिर्दिष्ट हैं, अनुपालन करे और ऐसे अन्य निदेश दे सकेगी जिन्हें कि राज्य सरकार आवश्यक समझे.

(४) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निदेश के अंतर्गत कोई ऐसा उपबंध आ सकेगा :-

(एक) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि बजट मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;

(दो) जिसमें विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की गई हो कि प्रत्येक ऐसा प्रस्ताव, जिसमें वित्तीय विवक्षाएं अन्तर्विलित हैं, मंजूरी के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;

परन्तु कुलपति राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा, तथा वह उसी रीति में कुलाधिपति द्वारा हटाया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलपति, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी उसके पश्चात् तब तक पद धारण किए रह सकेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि छह मास से अधिक नहीं होगी.

(४) नियत तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :-

(एक) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व, यथास्थिति विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड, प्रबंध बोर्ड या विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में पद धारण किए हुए हों, उस पद पर नहीं रह जायेगा;

(दो) उपधारा (३) के अधीन नियुक्त किया गया कुलपति, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड, प्रबंध बोर्ड या विद्या परिषद् को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या उन पर अधिरोपित किये गये हों :

परन्तु कुलाधिपति, यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त किये गये कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिये एक समिति की नियुक्ति कर सकेगा जिसमें कि एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विद्वान् तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे :

परन्तु यह और कि ऐसी समिति राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त की जायेगी.

(५) अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व या उसके अव्यवहित पश्चात्, यथासाध्य शीघ्र, कुलपति, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड, प्रबंध बोर्ड तथा विद्या परिषद् का गठन करने के लिये कार्यवाही करेगा और इस प्रकार गठित किया गया विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड, प्रबंध बोर्ड तथा विद्या परिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के तारीख के अव्यवहित पश्चात् अपने बन्दे तारीख को या उस तारीख को, जिसको कि संबंधित निकायों का इस प्रकार गठन हो जावे, इन दोनों में से जो भी पश्चात्पूर्वी हो, कार्य करना प्रारंभ कर देगा :

परन्तु यदि विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड, प्रबंध बोर्ड या विद्या परिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न किए गए हों कुलपति, ऐसा अवसान हो जाने पर, इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, उस समय तक करेगा जब तक कि, यथास्थिति, विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड, प्रबंध बोर्ड या विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाए."

भोपाल, दिनांक ५ सितम्बर २००९

क्र. ४३०६-२२३-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २००९ (क्रमांक १४ सन् २००९) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, उपसचिव.

- (तीन) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किये गये अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों के वेतनमान के तथा भत्तों की दरों के पुनरीक्षण संबंधी प्रत्येक प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाएं;
- (चार) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किये गये समस्त व्यक्तियों के या उनके किसी वर्ग के वेतनों तथा भत्तों में कमी की जाए;
- (पांच) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किये गये अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या में कमी की जाए;
- (छह) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि वेतनमानों को तथा भत्तों की दरों को कम किया जाए; और
- (सात) जो ऐसे अन्य विषयों के संबंध में हो जिनका कि यह प्रभाव हो सकता हो कि विश्वविद्यालय का वित्तीय दबाव कम हो जाए.
- (५) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकारी के लिए और विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी के लिए यह आबद्धकर होगा कि वह इस धारा के अधीन दिये गये निदेश को कार्यान्वित करे.
- (६) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी इस धारा के अधीन दिए गए निदेश के अपालन के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की किसी निधि या संपत्ति के दुरुपयोजन के लिए, जिसका कि वह एक पक्षकार रहा हो या जो ऐसे अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण घटित हुआ हो या सुकर हो गया हो, वैयक्तिक रूप से दायी होगा और इस प्रकार उपगत हुई हानि, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर, ऐसे अधिकारी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी:

परन्तु हानि की रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने की कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को स्पष्टीकरण देने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और ऐसे स्पष्टीकरण पर राज्य सरकार द्वारा विचार न कर लिया गया हो.

४४-क. (१) यदि राज्य सरकार का, किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि किसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन, विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किये बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, और यह कि वैसा करना विश्वविद्यालय के हित में समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा, उसमें वर्णित किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (२), (३), (४) तथा (५) के उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसमें इसके पश्चात्, इस धारा में नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को लागू होंगे.

कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिये विशेष उपबंध.

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना (जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के नाम से निर्दिष्ट है) नियत तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर, उस कालावधि में ऐसी और वृद्धि कर सकेगी जैसा वह उचित समझे, तथापि अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(३) नियत तारीख से कुलपति, जो नियत तारीख से अव्यवहित पूर्व पद धारण कर रहा है, इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, अपना पद रिक्त कर देगा और कुलाधिपति, अधिसूचना के जारी किये जाने के साथ-साथ कुलपति को नियुक्त करेगा और इस प्रकार नियुक्त कुलपति अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान पद धारण करेगा:

MADHYA PRADESH ACT

No.14 OF 2009.

THE MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2009.

[Received the assent of the Governor on the 1st September, 2009; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 5th September, 2009].

An Act further to amend the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixtieth year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2009. Short title.

2. In Section 28 of the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991 (No. 9 of 1991) (hereinafter referred to as the principal Act), for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:— Amendment of Section 28.

" (1) The Registrar shall be appointed by the State Government, who may be a member of the State University Service constituted under section 15-C of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973).".

3. After section 43 of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:— Insertion of new sections 44 and 44A.

"44. (1) If the State Government is satisfied that owing to maladministration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may by notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government. State Government to assume financial control in certain circumstances.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall, in the first instance, remain in operation for a period of one year from the date specified in the notification and the State Government may, from time to time, by a like notification, extend the period of operation by such further period as it may think fit, provided that the total period of operation does not exceed three years.

(3) During the period the notification issued under sub-section (1) remain in operation, the executive authority of the State Government shall extend to the giving of directions to the University to observe such canons of financial propriety as may be specified in the direction and to the giving of such other directions as the State Government may deem necessary.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, any such direction may include:—

- (i) a provision requiring the submission of the budget to the State Government for sanction;
- (ii) A provision requiring the University to submit every proposal involving financial implications to the State Government for sanction;
- (iii) a provision requiring the submission to every proposal for revision of scales of pay and rates of allowances of the officers, teachers and other persons employed by the University to the State Government for sanction;
- (iv) a provision requiring the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons employed by the University;

- (v) a provision requiring the reduction in the number of officers, teacher persons employed by the University;
- (vi) a provision requiring the lowering down of scales of pay and rates of and
- (vii) a provision in regard to such other matters as may have the effect of the financial strain on the University.

(5) Notwithstanding anything contained in this Act, it shall be binding on every officer of the University and every officer of the University to give effect to the direction given in this section.

(6) Every officer of the University shall be personally liable for misapplication of money or property of the University as a result of non-compliance of the direction given under this section to which he shall have been a party or which shall have happened through or been caused by the gross neglect of his duty as such officer, and the loss so incurred shall, on a certificate issued by the secretary to Government of Madhya Pradesh, Higher Education Department, be recoverable from such officer as an arrear of land revenue:

Provided that no action to recover the amount of loss as an arrear of land revenue shall be taken until reasonable opportunity has been given to the person concerned to furnish an explanation and such explanation has been considered by the State Government.

Special provision for better administration of University in certain circumstances.

44.A (1) If the State Government, on receipt of a report or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the University cannot be carried on in accordance with the provisions of the Act without detriment to the interests of the University, it is expedient in the interest of the University so to do, it may by notification, for reasons mentioned therein, direct that the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) shall, from the date specified in the notification (hereinafter in this section referred to as the appointed date) apply to the University.

(2) The notification issued under sub-section (1) (hereinafter referred to as the notification) shall remain in operation for a period of one year from the appointed date and the State Government may, from time to time, extend the period by such further period as it may think fit, so, however that the total period of operation of the notification does not exceed three years.

(3) As from the appointed date the Vice-Chancellor holding office immediately before the appointed date, shall notwithstanding that his term of office has not expired, vacate office and the Chancellor shall simultaneously with the issue of the notification appoint a Vice-Chancellor and the Vice-Chancellor so appointed shall hold office during the period of operation of the notification:

Provided that the Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government and may be removed by the Chancellor in the like manner:

Provided further that the Vice-Chancellor may notwithstanding the expiration of the period of operation of the notification continue to hold office thereafter until his successor enters office but this period shall not exceed six months.

- (4) As from the appointed date, the following consequences shall ensue, namely:
 - (i) every person holding office as a member of the Academic Planning and Evaluation Board, the Board of Management or the Academic Council, at the appointed date, may be, immediately before the appointed date shall cease to hold that office;
 - (ii) the Vice-Chancellor appointed under sub-section (3) shall exercise the powers and perform the duties conferred or imposed by or under this Act on the Academic Planning and Evaluation Board, the Board of Management or the Academic Council:

Provided that the Chancellor may, if he considers it necessary so to do, appoint a committee consisting of an educationist, an administrative expert and a financial expert to assist the Vice-Chancellor so appointed in exercise of such powers and performance of such duties :

Provided further that such committee shall be appointed in consultation with the State Government.

(5) Before the expiration of the period of operation of the notification or immediately as early as practicable, thereafter, the Vice-Chancellor shall take steps to constitute the Academic Planning and Evaluation Board, the Board of Management and the Academic council in accordance with the provisions of the Act, and the Academic Planning and Evaluation Board, the Board of Management and the Academic council as so constituted shall begin to function on the date immediately following the date of expiry of the period of operation of the notification or the date on which the respective bodies are so constituted whichever is later :

Provided that if the Academic Planning and Evaluation Board, the Board of management and Academic Council are not constituted before the expiration of the period of operation of the notification, the Vice-Chancellor shall on such expiration exercise the powers of each of these authorities subject to prior approval of the Chancellor till the Academic Planning and Evaluation Board, the Board of Management or Academic Council, as the case may be, is so constituted."

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 293]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 जून 2011—ज्येष्ठ 23, शक 1933

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 जून 2011

क्र. 1256-58-10-अड़तीस-3.—यतः महात्मा गांधी चित्रकूट, ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट सतना के कार्यकलापों के कुप्रबंध के संबंध में, राज्य सरकार ने, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 9 सन् 1991) की धारा 44 क की उपधारा (1) के अनुसरण में, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 जून, 2010 जारी की थी, जिसमें यह निदेशित किया गया था कि उक्त अधिनियम की उपधारा (2), (3), (4) तथा (5) के उपबंध उक्त विश्वविद्यालय को 14 जून, 2010 से लागू होंगे ;

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 44 क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि को नियत तारीख से और एक वर्ष की कालावधि तक के लिये बढ़ाती है.

No. 1256-58-10-XXXVIII-3.—WHEREAS due to mismanagement of affairs of Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya, Chitrakoot, Satna, the State Government, in pursuance of sub-section (1) of Section 44-A of the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991 (No. 9 of 1991), has issued a notification of even number dated 14th June, 2010, whereby directed that the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of the said Act shall apply to the said University from 14th June, 2010;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 44-A of the said Act, the State Government, hereby, extends the period of operation of the said notification by further period of one year from the appointed date.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

585

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 502]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2019—अग्रहायण 28, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2019

क्र. 21756-333-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 31 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

**MADHYA PRADESH BILL
NO. 31 of 2019**

**THE MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA
(SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2019**

A Bill further to amend the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 24.

2. In Section 24 of the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991 (No. 9 of 1991),—

(i) in sub-section (3), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

"(i) one person nominated by the State Government;"

(ii) in sub-section (3-A), for the words "Board of Management", the words "State Government" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In sub-section (3) of Section 24 of the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991 (No. 9 of 1991) presently there is a provision of appointment of regular Vice-Chancellor through Committee. In the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya, there is no rule of the State Government for appointment of regular Vice-Chancellor, whereas the State Government is directly responsible for determination of policy for successful conduct of the University and also makes the financial provision for the University. The State Government is directly responsible to the public for the matters relating to the University. To ensure the good governance in the University, it is proposed to make suitable amendment Section 24 of the principal Act.

2. Hence this Bill.

BHOPAL :
DATED THE 12th DECEMBER, 2019

JITU PATWARI
Member-In-Charge.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 1 फरवरी 2020—माघ 12, संक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2020

क्र. 2056-27-इकाईस-अ-(प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31 जनवरी 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १२ सन् २०२०

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१९

[दिनांक ३१ जनवरी, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ०१ फरवरी, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २४ का
संशोधन.

२. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक ९ सन् १९९१) की धारा २४ में,—

(एक) उपधारा (३) में, खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(एक) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति;”

(दो) उपधारा (३-क) में, शब्द “ प्रबन्ध बोर्ड ” के स्थान पर, शब्द “ राज्य सरकार ” स्थापित किए जाएं,

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2020

क्र. -27-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 12 OF 2020

THE MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

[Received the assent of the Governor on the 31st January, 2020; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 01st February, 2020.

An Act further to amend the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 24.

2. In Section 24 of the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991 (No. 9 of 1991),—

(i) in sub-section (3), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

"(i) one person nominated by the State Government;"

(ii) in sub-section (3-A), for the words "Board of Management", the words "State Government" shall be substituted.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 318]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 अगस्त 2021—श्रावण 19, शक 1943

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2021

क्र. 12482-मप्रविस-15-विधान-2021.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 25 सन् 2021) जो विधान सभा में दिनांक 10 अगस्त 2021 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २५ सन् २०२१

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०२१

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२१ है. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक ९ सन् १९९१) की धारा ११ में,— धारा ११ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में,—

(क) खण्ड (१) में, शब्द “कुलाधिपति” के स्थान पर, शब्द “कुलपति” स्थापित किया जाए;

(ख) खण्ड (३) में, शब्द “कुलपति तथा” का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (२) में, शब्द “कुलाधिपति” के स्थान पर, शब्द “कुलपति” स्थापित किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक ९ सन् १९९१) की धारा ११ की उपधारा (१) के खण्ड (१) में यह उपबंधित है कि कुलाधिपति बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा. यतः समस्त शासकीय विश्वविद्यालयों में यह उपबंधित है कि संबंधित विश्वविद्यालय का कुलपति कार्य परिषद्/बोर्ड का अध्यक्ष है. अतएव, शासकीय विश्वविद्यालयों के समस्त अधिनियमों के अनुसार मूल अधिनियम की धारा ११ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : ४ अगस्त, २०२१.

डॉ. मोहन यादव

भारसाधक सदस्य.